महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI

प्रथम परिनियमावली

(पचीसवें संशोधन तक)

FIRST STATUTES

(Upto Twentyfifth Amendments)

Scanned with CamScanner

प्रो० राम कुमार त्रिपाठी
कुलपति
Prof. Ram Kumar Tripathi
Vice-Chancellor

फोन : (का)358160 (आ)350268
फैक्स : 91-542-350268
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी - 221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi - 221002

दिनांक/Date : 15. 7. 1996

प्राक्कथन

यह अत्यन्त ही गौरव की बात है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परिनियमावली का अद्यतन संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

इसके पूर्व सन 1984 में विश्वविद्यालय द्वारा अपनी परिनियमावली का प्रकाशन किया गया था। तदन्तर शासन एवं विश्वविद्यालय, दोनों ही स्तरों पर, इसमें संशोधन परिवर्द्धन होते रहे हैं। इस कारण, पूर्व संस्करण की प्रासंगिकता समाप्त सी हो गयी थी। अत: विश्वविद्यालय की परिनियमावली इस साम्प्रतिक संस्करण की उपादेयता स्वयंसिद्ध है।

यह परम सौभाग्य की बात रही है कि "विज्ञान और प्रौद्यौगिकी" तथा "चिकित्सा विज्ञान" जैसे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण संकायों को विद्यापीठ में स्थापित कर संचालित करने की, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति, वर्ष 1995-96 में ही प्राप्त हुई। इन संकायों सहित अन्य विविध विषयों को भी प्रस्तुत परिनिमावली में सम्मिलित किये जाने से जहाँ एक तरफ इस संस्करण की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के नियोजित विकास और विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

काशी विद्यापीठ का इतिहास अत्यन्त समृद्ध रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय में एक आदर्श "व्यवस्था" की स्थापना में प्रस्तुत परिनियमावली अत्यन्त कारगर सिद्ध होगी।

विश्वविद्यालय के उन समस्त अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके परिश्रम तथा सहकार से परिनियमावली का प्रकाशन सम्भव हो सका है।

रामकुमार त्रिपाठी
प्रो० (राम कुमार त्रिपाठी)
कुलपति

Scanned with CamScanner

डा० रजनीश दुबे
आई०ए०एस०
कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी

दिनांक : १०/७/१९९६

दो शब्द

विश्वविद्यालय की व्यवस्था हेतु परिनियम अपरिहार्य है। उच्च मूल्यों से प्रगुणित परिनियम की प्रासंगिकता एवं उपादेयता स्वयं सिद्ध है। किन्तु, विगत एक दशक से अधिक अवधि से परिनियमावली के प्रकाशन का कार्य निरावधिक हो गया था।

यह अत्यन्त ही हर्ष और गौरव का विषय है कि बारह वर्ष पश्चात् महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा अपनी 'परिनियमावली' संशोधित एवं परिमार्जित रूप में पुन: प्रकाशित की जा रही है।

पिछली परिनियमावली के प्रकाशन की तिथि के बाद से शासन द्वारा- समय-समय पर किये गये संशोधनों को प्रस्तुत संस्करण में सम्मिलित करके इसे अद्यतन किया गया है। साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी इसी संस्करण में सम्मिलित किये जाने से प्रस्तुत संस्करण गुणवत्ता की दृष्टि से और भी समृद्ध हुआ है।

इस परिनियमावली में, दो नये संकाय-विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय तथा चिकित्सा विज्ञान संकाय के अतिरिक्त अध्यापकों की द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नति योजना, सेवारत मृत शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने, आदि से सम्बन्धित परिनियम भी सम्मिलित किये गये हैं।

कुलपति- प्रो० राम कुमार त्रिपाठी जी के मार्ग-निर्देशन में प्रस्तुत 'परिनियमावली' को प्रकाशित कराने का कार्य सम्पन्न हुआ है। इस कार्य में उपकुलसचिव (प्रशासन) श्री आर० पी० सिंह का सहयोग तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्री विजय कुमार शास्त्री एवं श्री सुभाष चन्द्र वर्मा का परिश्रम प्रशंसनीय रहा है।

रजनीश

रजनीश दुबे

Scanned with CamScanner

हिन्दी संस्करण

विषयानुक्रम

क्रम सं०	अध्याय सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
१	अध्याय - १	प्रारम्भिक	१
२	अध्याय - २	विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक :-	३
		(i) कुलाधिपति	३
		(ii) वित्त अधिकारी	४
		(iii) कुलसचिव	६
		(iv) संकायों के संकायाध्यक्ष	९
		(v) छात्रकल्याण के संकायाध्यक्ष	११
		(vi) विभागाध्यक्ष	१४
		(vii) पुस्तकाध्यक्ष	१४
		(viii) प्राक्टर	१५
३	अध्याय - २ - क	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	१६
४	अध्याय - ३	कार्य परिषद	१७
५	अध्याय - ४	सभा : अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व	१८
६	अध्याय - ५	विद्यापरिषद्	२२
७	अध्याय - ६	वित्त समिति	२४
८	अध्याय - ७	संकाय :-	

Scanned with CamScanner

	(i) मानविकी संकाय	२७
	(ii) समाजविज्ञान संकाय	२८
	(iii) समाज कार्य संकाय	२९
	(iv) वाणिज्य संकाय	२९
	(v) शिक्षा संकाय	२९
	(vi) विधि संकाय	२९
	(vii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	२९
	(viii) चिकित्सा विज्ञान संकाय	३०
९- अध्याय - ८	विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय :	
	(i) अनुशासन समिति	३२
	(ii) विभागीय समितियाँ	३४
	(iii) परीक्षा समिति	३६
१०- अध्याय -९	बोर्ड	३६
११- अध्याय -१०	अध्यापकों का वर्गीकरण :	३७
	(i) आचार्य	३७
	(ii) उपाचार्य, और	३७
	(iii) प्राध्यापक	३७
१२- अध्याय - ११	विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं और नियुक्ति	३९
१३- अध्याय - १२	उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना	५४
१४- अध्याय - १३	दीक्षान्त समारोह	५६
१५- अध्याय - १४		
(i) भाग - १	विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें	५७

Scanned with CamScanner

(ii) भाग - २	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम	६४
(iii) भाग - ३	अधिवर्षिता की आयु	६९
(iv) भाग - ४	अन्य उपबन्ध	७१
१६- अध्याय - १५	विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता	७२
१७ - अध्याय - १६	प्रकीर्ण विश्वविद्यालय में सेवारत मृत शिक्षकों/अकेन्द्रयित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किया जाना	७८
१८- अध्याय - १७	अधिभार	८२

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट

१९- परिशिष्ट - क	अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन :	८७
(१) भाग - १	सामान्य	८७
(२) भाग - २	डाक मत-पत्र द्वारा संचालित निर्वाचन	९०
(३) भाग - ३	अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना	९८
२०- परिशिष्ट - ख	विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र	९९
२१ - परिशिष्ट - ग	अध्यापकों के लिए आचरण संहिता	१०२
२२ - परिशिष्ट - घ	शैक्षिक सत्र ---- की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट	१०४
२३ - परिशिष्ट - ङ	स्वमूल्यांकन विवरण का निदर्श	१०५

Scanned with CamScanner

ENGLISH VERSION

S.N.	CHAPTER NO	PARTICULAR	PAGE
1.	Chapter - I	Preliminary	1-3
2.	Chapter - II	Officers and other functionaries of the University :	
		(i) The Chancellor	3-4
		(ii) Finance Officer	4-6
		(iii) The Registrar	6-9
		(iv) Deans of Faculties	9-11
		(v) The Dean of Students Welfare	11-14
		(vi) Heads of the Department	14
		(vii) The Librarian	14-15
		(viii) The Proctor	15-17
3.	Chapter - II-A	Other Officers of the University	17
4.	Chapter - III	The Executive Council	17-19
5.	Chapter - IV	The Court :	
		(i) Representation of Teachers etc.	19-20
		(ii) Registration of Graduates and their Representation in Court	20-22
6.	Chapter - V	The Academic Council	22-24
7.	Chapter - VI	The Finance Committee	25-26

Scanned with CamScanner

8.	Chapter - VII	The Faculty :	27-28
		(i) Faculty of Humanities	28-29
		(ii) Faculty of Social Sciences	29
		(iii) Faculty of Social Work	29
		(iv) Faculty of Commerce	30
		(v) Faculty of Education	30
		(vi) Faculty of Law	30
		(vii) Faculty of Science & Technology	30-31
		(ix) Faculty of Medical Science	31-32
9.	Chapter - VIII	Other Authorities and Bodies of the University :	
		(i) Diciplinary Committee	33-34
		(ii) Departmental Committies	35-36
		(iii) Examinations Committee	36
10.	Chapter - IX	Boards	37
11.	Chapter - X	Classification of Teachers :	
		(i) Professors	37
		(ii) Readers and	37
		(iii) Lecturers	38
12.	Chapter - XI	Qualification and Appointment of Teachers in the University	39-56
13.	Chapter - XII	Conferment and Withdrawal of Degrees and Diplomas	56-57
14.	Chapter - XIII	Convocation	57-58

Scanned with CamScanner

15.	Chapter - XIV		
	Part I -	Conditions of Service of Teachers of University	58-66
	Part II -	Leave Rules for Teachers of the University	66-70
	Part III -	Age of Superannuation	71-73
	Part IV -	Other Provisions	73-75
16.	Chapter - XV	Seniority of the Teachers of University	75-82
17.	Chapter - XVI	Miscellaneous	82-83
		Employment of the Dependent of Deceased Teaching/Non Teaching (Excluding Centralized Service) Employees of this University	84-85
18.	Chapter - XVII	Surcharge	85-90

Scanned with CamScanner

APPENDIX

19.	Appendix - A	Election by Proportional Representation by means of Single Transferable Vote	
	I. Part - I	General	91-94
	II. Part - II	Elections Conducted by Postal Ballot	95-102
	III. Part - III	Election held at Meetings	102-103
20.	Appendix - B	Forms of Agreement with Members of Teaching Staff of the University	104-106
21.	Appendix - C	Code of Conduct for Teachers	107-108
22.	Appendix - D	Form - Annual Academic Progress Report for the Academic Session	109-110
23.	Appendix - E	Proforma for Self Assessment	111-114

Scanned with CamScanner

खण्ड से है जिसमें उक्त पद आया हो;

(ग) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है; और

(ङ) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये हैं ।

22206 आपत्ति 22217. 22229. 2/11/11 3/2/11

१.०४ – इस परिनियमावली में, किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बद्ध अध्यापक के जन्म दिनांक के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित हो, निर्देश समझे जायेंगे। धारा ४९ तथा ५०

अध्याय - २

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्यनिर्वाहक

कुलाधिपति

२. ०१ – (१) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा ६८ के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय, विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना जिसे वह आवश्यक समझें, माँग सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग सकते हैं। धारा १० (४) धारा ४९ (ग)

Scanned with CamScanner

(२) जहां कुलाधिपति खण्ड (१) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँगे, वहाँ कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(३) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझ कर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(४) कुलाधिपति को खण्ड (३) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

धारा ९ (ङ) २. ०२ – जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्त्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम-निर्दिष्ट किसी एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो, तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे कुलपति नाम-निर्दिष्ट करें।

धारा १५ (७) २. ०३ – वित्त अधिकारी :-

Scanned with CamScanner

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

और
धारा ४९ (ग)

(ख) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर, दे सकता है;

(ग) नकद या बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत दृष्टि रखेगा;

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेख रखेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जांच की जाती है;

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सूक्ष्म परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें, मंगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक सम्परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा, और उन बिलों की सम्परीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

Scanned with CamScanner

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सहायक कुलसचिव (लेखा) के पद से न्यून विश्वविद्यालय के सम्परीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम २. ०६ के खंड (२) और (३) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

धारा १३ (९), १५ (७) तथा ४९ (ग)

२. ०४ - यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और दोनों अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

कुल सचिव

धारा १३ (९), १६ (४), २९

२. ०५ - (१) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुल सचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न अन्य सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले किसी पद पर हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों;

(ग) पुस्तकाध्यक्ष;

(घ) उपकुल सचिव और सहायक कुलसचिव;

(ङ) विश्वविद्यालय में लेखा और संपरीक्षा

Scanned with CamScanner

अनुभाग के कर्मचारी।

(२) खण्ड (१) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तिच्युत करने, प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी, और ऐसे कर्मचारी को जांच होने तक या जांच के विचार से निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(३) खण्ड (२) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक ऐसी जांच न कर ली जाय, जिसमें उसे अपने विरुद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो और जहाँ ऐसी जांच के पश्चात् उस पर कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहाँ जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाय, किन्तु उक्त अभिवेदन ऐसी जांच के दौरान दिये गये साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा :

परन्तु, यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नहीं लागू होगा, यद्यपि आदेश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षत: यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था :-

(क) किसी स्थानापन्न प्रोन्नत व्यक्ति को उसकी मूल पंक्ति में प्रतिवर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को, उसके पचास वर्ष

Scanned with CamScanner

की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त करने का आदेश।
(घ) निलम्बन का आदेश।

धारा २१ तथा ४९

२. ०६ - परिनियम २. ०५ में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम ८.०१ के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुल सचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा १६

२. ०७ - अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुल सचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :-

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य परिषद द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो;
(ख) धारा १६ (४) में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;
(ग) सभी, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के अधिकृत पत्र-व्यवहार का संचालन करना;
(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;
(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा या विरुद्ध वादों या

Scanned with CamScanner

कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना।

संकायों के संकायाध्यक्ष

२. ०८ – (१) यदि किसी संकाय के संकाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो ज्येष्ठतम आचार्य और जहाँ उस संकाय में कोई आचार्य उपलब्ध न हो वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम उपाचार्य संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। धारा २७ (४), और ४९ (ख)

(२) कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

२. ०९ – (१) ऐसे संकाय को छोड़कर जिसमें केवल एक आचार्य हो, कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को – धारा २७ (४), ६४ (२) तथा ७४ (३) (ख)

(क) तीन वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिये संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जायगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और ज्येष्ठता-क्रम में पात्र अगला अध्यापक इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक से संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठताक्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष के रूप में पद

Scanned with CamScanner

धारण करेगा।

(२) ऐसी अवधि की, जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ -

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, उसको निकाल दिया जायगा।

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गई हो, उस अवधि की गणना यदि अन्ततः यह पाया जाय कि उसे उस अवधि में उस पद को धारण करने का विधिक हक नहीं था संकायाध्यक्ष की पदावधि के प्रयोजनार्थ उसकी बारी अगली बार आने पर की जायगी।

धारा १८ तथा ४९ (ग)

२. १० - संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ होंगी :-

(i) वह संकाय-बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं।
(ii) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा।
(iii) वह संकाय में समाविष्ट विभागों के

Scanned with CamScanner

पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, तथा अन्य परिसम्पत्तियों की उचित अभिरक्षा तथा अनुरक्षण के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(iv) उसे अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु, जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

२. ११ - छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जायगी।[१]

धारा १८, २१ (१), (xvii) और ४९ (ग)

२. १२ - छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा।

धारा ११ तथा ४९

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या-३४५३/१५-१०-८८-८(६)/८७ दिनांक २० जून, १९८८ द्वारा संशोधित (पन्द्रहवां संशोधन)। इस के पूर्व परिनियम खण्ड २-११ इस प्रकार था -

"छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्व विद्यालय के उन अध्यापकों में से, जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-कार्य का अनुभव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति के न हों, कार्य परिषद् द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जायेगी जिसमें कुलपति और दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे।"

Scanned with CamScanner

धारा ४९

२. १३ - छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी, जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय ; परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष परिनियम २. ११ के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायगा।

धारा १८ तथा ४९ (ग)

२. १४ - (१) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन अध्यादेशों में निर्धारित रीति से किया जायगा) एक दल करेगा, जो अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(२) छात्र-कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायगा जो बालिका छात्रों के कल्याण की देखभाल करेंगी।

धारा १८ तथा ४९ (ग) और (घ)

२. १५ - (१) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष तथा छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में जिनमें सहायता तथा मार्ग दर्शन अपेक्षित है समान्यत: सहायता प्रदान करें, तथा विशेषतया, छात्रों तथा भावी छात्रों को,

(i) विश्वविद्यालय तथा उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने,

(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिरुचि का चुनाव करने,

(iii) निवास स्थान ढूंढ़ने,

(iv) भोजन-व्यवस्था करने,

Scanned with CamScanner

(v) चिकित्सीय सलाह तथा सहायता प्राप्त करने,

(vi) छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन तथा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,

(vii) अवकाश के दिनों तथा शैक्षिक अध्ययन यात्राओं के लिये यात्रा-सुविधायें प्राप्त करने,

(viii) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने, और

(ix) विश्वविद्यालय की परम्परायें अक्षुण्ण रहे, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने में सहायता करना और सलाह देना।

(२) छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसमें उसकी सहायता, अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकता है।

२. १६ - छात्र-कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक अथवा सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो, तथा विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायँ। धारा ४९ (ग)

२. १७ - कुलपति किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं। धारा १३ (९)

२. १८ - छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा धारा ४९ (घ)

Scanned with CamScanner

सकता है जैसा कुलपति, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे।

विभागाध्यक्ष

धारा ४९

२. १९ – विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा।

पुस्तकाध्यक्ष

धारा ४९ (ग)

२. २० – (१) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकाध्यक्ष चयन समिति की, जिसमें निम्नलिखित होंगे, सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा अर्थात् –

(क) कुलपति;

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(२) जब तक खण्ड (१) के अधीन नियुक्त पुस्तकाध्यक्ष अपने पद का कार्य-भार न संभाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि के लिये, जिसे वह उचित समझें, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

२. २१ – पुस्तकाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों में व्यवस्था की जाय।

२. २२ – पुस्तकाध्यक्ष की उपलब्धियां ऐसी

Scanned with CamScanner

होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय।

२. २३ - विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन-कार्य तथा अनुसन्धान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकाध्यक्ष का कर्तव्य होगा। धारा ४९ (ग)

२. २४ - पुस्तकाध्यक्ष कुलपति के अनुशानिक नियंत्रण में रहेगा। परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा। धारा ४९ (ग)

प्राक्टर

२. २५ - प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा, और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौंपे जायें। धारा १८ तथा ४९ (ग)

२. २६ - प्राक्टर की सहायता के लिए सहायक प्राक्टर होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर निश्चित की जायेगी। धारा ४९ (ग)

२. २७ - कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे। धारा ४९ (ग)

२. २८ - प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टर एक धारा ४९ (ग)

Scanned with CamScanner

तथा ४९ (ङ) वर्ष के लिये पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

परन्तु जबतक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, प्रत्येक प्राक्टर अथवा सहायक प्राक्टर पद पर बना रहेगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश पर प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती है :

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी सहायक प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते हैं।

धारा ४९ (ग) तथा ४९ (ङ)

२. २९ - प्राक्टर तथा सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से निश्चित करें।

अध्याय - २ - क

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

धारा ९ (ख)

२. ०१ - (क) कार्य परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।[1]

---

१. उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या - ९२८/१५-१०-८५-१५ (७५) - ८३ दिनांक १५ मार्च, १९८५ द्वारा अध्याय २ -क स्थापित (आठवां संशोधन) तथा १५ मई १९७७ से प्रवृत्त।

Scanned with CamScanner

अध्याय - ३

कार्य परिषद्

३. ०१ - संकायों के संकायाध्यक्ष, जो धारा २० (१) (ग) के अधीन कार्य-परिषद् के सदस्य, होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों में नाम परिनियम, ७. ०१ में प्रगणित है। धारा २० (१) (ग)

३. ०२ - धारा २० (१) (घ) के अधीन विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों, तथा प्राध्यापकों का (जो संकायों के संकायाध्यक्ष न हों) प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होगा : धारा २० (१) (घ)

(क) दो आचार्य जिनका चयन ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा।

(ख) दो उपाचार्य जिनका चयन ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा।

(ग) दो प्राध्यापक जिनका चयन ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से किया जायगा।

३. ०३ - धारा २० (१) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य-परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे। धारा २० (१) (च)

३. ०४ - कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का न तो सदस्य होगा और न सदस्य धारा ४९ (क) तथा (ख)

Scanned with CamScanner

बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य-परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा स्थान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो यह समझा जायगा कि उसने उस स्थान को उपर्युक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति के दिनांक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था।

धारा २१ (८)

३. ०५ - कार्य-परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझें, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा २० तथा ४९ (ख)

३. ०६ - कार्य-परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे।

धारा २० तथा ४९ (ख)

३. ०७ - कार्य-परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय - ४

सभा

अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा २२ (१) (vii)

४. ०१ - विश्वविद्यालय के छात्रावासों तथा छात्रनिवासों के दो प्रोवोस्ट तथा वार्डेन के दो प्रतिनिधियों

Scanned with CamScanner

का, जो धारा २२ (१) के खण्ड (vii) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन प्रोवोस्ट तथा वार्डेन के रूप में उनकी लगातार दीर्घकालिक सेवा के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायगा।

४. ०२ - (१) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का जो धारा २२ (१) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा; धारा २२ (१) (ix)

(क) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य,
(ख) विश्वविद्यालय के चार उपाचार्य,
(ग) विश्वविद्यालय के सात प्राध्यापक,
(घ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष।

(२) उपर्युक्त आचार्यों, उपाचार्यों और प्राध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य ; उपाचार्य या प्राध्यापक के रूप में उनकी ज्येष्ठ-क्रम में किया जायगा।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व

४. ०३ - कुलसचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है। धारा १६ (४) तथा ४९ (थ)

४. ०४ - रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे :- धारा ४९ (थ)

(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता।
(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष।
(ग) विश्वविद्यालय का नाम।
(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये

Scanned with CamScanner

जाने का दिनांक।

(ङ) ऐसे अन्य ब्योरे जिनके बारे में कार्य परिषद समय-समय पर निर्देश दे ।

टिप्पणी : ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे जिनकी मृत्यु हो गई हो ।

धारा ४९ (थ)

४. ०५ - विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य-परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन-पत्र देने पर और इक्यावन रुपये की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनांक से दर्ज कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गई थी या उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गई होती जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जाएगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन-पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

धारा ४९ (थ)

४. ०६ - आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि ये ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक रुप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

धारा ४९ (थ)

४. ०७ - कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक के पूववर्ती ३० जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगा ।

धारा २२ (१) (xi)

४. ०८ - कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक धारा २२

Scanned with CamScanner

(१) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती ३० जून, को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा हो ।

तथा ४९ (थ)

४. ०९ – धारा २१ (१) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय छात्रावास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नहीं रह जाएगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा, जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जाएगा।

धारा २२ (१) (xi) तथा ४९ (थ)

४. १० – कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहिले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रुप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है, और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर, परिनियम ३. ०४ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

धारा २२ (१) (xi), (xii)

४. ११ – इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

धारा २२ (१) (xi)

४. १२ – सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

धारा २२ (२) तथा ४९ (ख)

Scanned with CamScanner

अध्याय - ५

विद्या परिषद्

धारा २५ (२) (viii)
तथा ४९ (ख)

५. ०१ - ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा २५ (२) क खंड धारा (viii) के अधीन विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-

(क) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के सात उपाचार्य;

(ख) ज्येष्ठता-क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के आठ प्राध्यापक।

धारा २५ (२) (xi)
तथा ४९ (ख)

५. ०२ - शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्तियों का, जो धारा २५(२) के खण्ड (xi) के अधीन विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे, सहयोजन उक्त धारा के खण्ड (i) से (iv) और (viii) से (x) उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलाएगा, उन व्यक्तियों में से किया जाएगा; जो विश्वविद्यालय छात्र निवास या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

धारा २५ (३)
तथा ४९ (ख)

५. ०३ - धारा २५(२) के खण्ड (viii) और (xi) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

धारा २५ (१)
(ग)

५. ०४ - अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्या-परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात :-

(i) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना

Scanned with CamScanner

और उनपर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य परिषद् के विचारार्थ उन सिद्धान्तों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय,

(ii) सभा अथवा कार्य-परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना,

(iii) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद् को सलाह देना,

(iv) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सलाह देना और :-

(v) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना जो अधिनियम; परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रुप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।

५.०५ - विद्या-परिषद का अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाया जाएगा। धारा २५ तथा ४९ (ख)

अध्याय – ६

वित्त समिति

धारा ४९ (ख)

६. ०१ – धारा २६(१) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

धारा २६ (३)
तथा ४९ (क)

६. ०२ – व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहिले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों निम्नलिखित दशा में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी –

(i) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रुपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो;
और
(ii) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रुपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को, जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक विभागों में विभाजित की गयी हो; छोटी-छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करें और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

धारा २६ (३)
तथा ४९ (क)

६. ०३ – वित्त समिति ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम ६. ०२ अथवा परिनियम ६. ०४ के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई व्यय की समस्त मदों पर

Scanned with CamScanner

विचार करेगी और उनपर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को सूचित करेगी।

६. ०४ – यदि कार्य परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम ६. ०२ में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य-परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी। धारा २६ (१) तथा ४९ (क)

६. ०५ – वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जाएगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। धारा २८ (३) तथा ४९ (क)

६. ०६ – वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति भी लिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो। धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६. ०७ – लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन होगा। धारा २६ (३) तथा ४९ (क)

६. ०८ – वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निर्देश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए सभी नोटिस जारी की जाएगी और सभी अधिवेशनों का कार्य वृत्त रखा जाएगा। धारा १५ (७) तथा ४९ (ग)

Scanned with CamScanner

अध्याय - ७

संकाय

धारा २७ (१) ७. ०१ - विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे; अर्थात् -

(क) मानविकी संकाय
(ख) समाज विज्ञान संकाय
(ग) समाज कार्य संकाय[1]
(घ) वाणिज्य संकाय[2]
(ङ) शिक्षा संकाय
(च) विधि संकाय
(छ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय[3]
(ज) चिकित्सा विज्ञान संकाय[4]

धारा २७ (३) ७. ०२ - प्रत्येक संकाय का बोर्ड निम्नलिखित

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ९२८/१५-१०-७९-१५(३५)/७९ दिनांक १९ नवम्बर, १९७९ द्वारा परिनियम खण्ड ७-०१ (ग) स्थापित (द्वितीय संशोधन)।

२- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ४१०४/१५-१०-८४-४(६)/८४ दिनांक २५ मई, १९८५ द्वारा घ से च तक स्थापित (दसवां संशोधन)।

३- कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई-६७७७/जी०एस० दिनांक ६.११.१९९५ द्वारा स्थापित (बाइसवां संशोधन)।

४- कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई ९७९/जी० एस० दिनांक २५ अप्रैल १९९६ द्वारा स्थापित (चौबीसवां संशोधन)।

Scanned with CamScanner

प्रकार से गठित किया जाएगा :-

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा।

(ii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के विभागाध्यक्ष तथा आचार्य।

(iii) संकाय को सौंपे गये प्रत्येक अध्यापन विभाग से प्रतिवर्ष ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से, एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष न हो।

(iv) जिस संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा के भाग १ अथवा भाग २ के लिए स्वतन्त्र पाठ्यक्रम विहित हो उस संकाय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्य-विषय की प्रत्येक शाखा का ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि ऐसे विषय की शाखा किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले सदस्य द्वारा न पढ़ायी जाती हो ।

(v) जो व्यक्ति विश्वविद्यालय छात्रावास अथवा छात्रावास की सेवा में न हो, उनमें से पाँच से अनधिक ऐसे व्यक्ति, जिनको संकाय में पढ़ाये जाने वाली विषयों में विशेषज्ञ होने के कारण विद्या-परिषद नाम निर्दिष्ट करे।

७. ०३ - मानविकी संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :- **धारा २७ (२)**

(१) अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाएं
(२) हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं

Scanned with CamScanner

(३) संस्कृत और अन्य प्राच्य भाषाएं
(४) इतिहास
(५) दर्शन-शास्त्र
(६) शारीरिक शिक्षा और योग
(७) पत्रकारिता
(८) ललितकला
(९) पुस्तकालय विज्ञान
(१०) नव शिक्षा[1]

धारा २७ (२)

७. ०४ - समाज विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे[1] :-

(१) अर्थशास्त्र
(२) समाजशास्त्र
(३) राजनीतिक शास्त्र
(४) मनोविज्ञान
*
**

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ४१०४/१५-१०-८४-४(६)/८४ दिनांक २५ मई, १९८५ द्वारा परिनियम खंड ७. ०३ में क्रम १ से ३ तक संशोधित एवं ६ से १० तक का स्थापित (दसवां संशोधन)।
* उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या ९ २८/१५-१०-७९-१५(३५)/७९ दिनांक १९ नवम्बर, १९७९ द्वारा परिनियम ७. ०४ में मद संख्या ५ पर उल्लिखित समाज कार्य विभाग का निरसन (द्वितीय संशोधन)।
** उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग पत्र संख्या २१६५/१५-१०-९०-४(११)/८६ दिनांक २५ सितम्बर, १९९० द्वारा ७. ०४ के अन्तर्गत क्रमांक ५ पर सांख्यिकी एवं गणित विभाग स्थापित (उन्नीसवां संशोधन) एवं कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई-६७७७/ जी०एस० दिनांक ६/११/९५ द्वारा निरसन (बाइसवां संशोधन)।

Scanned with CamScanner

७. ०४ (क) - समाजकार्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा :-

समाजकार्य विभाग[1]

७. ०४ (ख) - वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा :-

वाणिज्य विभाग

७. ०४ (ग) - शिक्षा संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा :-

शिक्षा विभाग

७. ०४ (घ) - विधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होगा :-

विधि विभाग[2]

७. ०४ (ङ) - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :-

---

१ - उ०प्र० शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ९२८/१५-१०-७९-१५(३५)/७९ दिनांक १९ नवम्बर, १९७९ द्वारा परिनियम खण्ड ७-०४ (क) स्थापित (द्वितीय संशोधन)

२ - उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ४१०४/१५-१०-८४-४(६)/८४ दिनांक २५ मई, १९८५ द्वारा ख से घ तक स्थापित (दसवां संशोधन)

Scanned with CamScanner

(१) कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग
(२) गणित विभाग
(३) सांख्यिकी विभाग
(४) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग
(५) व्यवहारिक भौतिक विभाग
(६) पुस्तक मुद्रण एवं प्रकाशन प्रौद्योगिकी विभाग
(७) वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी विभाग
(८) गृह विज्ञान विभाग
(९) उपयुक्त प्रौद्योगिकी विभाग
(१०) जीव रसायन विज्ञान विभाग[१]

७. ०४ (च) – चिकित्सा विज्ञान संकाय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम होंगे :-

(१) आधुनिक चिकित्सा
(२) दन्त चिकित्सा
(३) समन्वित चिकित्सा
(४) वैकल्पिक चिकित्सा
(५) तकनीकी पाठ्यक्रम

उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निम्नलिखित विभाग होंगे :-

(१) शरीर रचना
(२) शरीर क्रिया
(३) समन्वित एवम् वैकल्पिक चिकित्सा सिद्धान्त

---

[१] – कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई-६७७७/जी०एस० दिनांक ६.११.१९९५ द्वारा ७. ०४ (ङ) एवं इसके अन्तर्गत १ से १० तक के विभाग स्थापित (बाइसवां संशोधन)।

Scanned with CamScanner

(४) व्याधिकी विज्ञान

(५) वैषज्य विज्ञान

(६) सामुदायिक चिकित्सा

(७) न्यायिक चिकित्सा

(८) चिकित्सा

(९) शल्य

(१०) मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं प्रसूति

(११) आयुर्वेद

(१२) होमियोपैथ

(१३) समन्वित शल्य

(१४) समन्वित चिकित्सा

(१५) वैकल्पिक चिकित्सा

(१६) वैकल्पिक शल्य

(१७) व्यावहारिक चिकित्सा

(१८) दन्त चिकित्सा

(१९) योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सा

(२०) भैषज्य[१]

७. ०५ (१) - इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। धारा २७ (३) तथा ४९ (ख)

(२) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष के निर्देश से बुलाया जायेगा।

७. ०६ - अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए; प्रत्येक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शक्ति धारा २७ (३)

१- कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई-९७९/जी०एस० दिनांक २५ अप्रैल, १९९६ द्वारा ७. ०४(च) एवं इसके अन्तर्गत १ से ५ तक पाठ्यक्रम और १ से २० तक के विभाग स्थापित (चौबीसवां संशोधन)

Scanned with CamScanner

होगी, अर्थात् :-

१- शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बद्ध अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विद्या-परिषद् को सिफारिश करना।

२- विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सौंपे गये विषयों में विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

३- अपने कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना; और विद्या परिषद् की सिफारिश करना।

अध्याय - ८

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय

अनुशासनिक समिति

धारा ४९ ८. ०१ - (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे एक आनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे:-

परन्तु यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिए एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

Scanned with CamScanner

(२) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली अनुशासनिक समिति के सदस्य के रुप में कार्य नहीं करेगा।

(३) कार्य परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

८. ०२ - (१) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) परिनियम २. ०६ के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जाँच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) उपर्युक्त उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की सिफारिश करना जिसके विरुद्ध जाँच विचाराधीन या अनुध्यात हो;

(घ) ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायँ।

(२) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में, बहुमत का विनिश्चय अविभावी होगा।

Scanned with CamScanner

(३) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जाएगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सके।[१]

विभागीय समितियाँ

धारा ४९ ८. ०३ - परिनियम २. १९ के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की सहायता के लिए विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में, एक विभागीय समिति होगी।

धारा ४९ ८. ०४ - विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) विभाग के समस्त आचार्य, और यदि कोई आचार्य न हो तो विभाग के समस्त उपाचार्य।

(iiii) यदि किसी विभाग में आचार्य तथा उपाचार्य भी हों तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए दो उपाचार्य।

१- उ०प्र० शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ५२३३/१५-१०-८०-४३(६)/७६ लखनऊ, दिनांक १७ नवम्बर, १९८० द्वारा परिनियम खण्ड ८. ०२ (३) संशोधित (चौथा संशोधन)। इसके पूर्व परिनियम खण्ड ८. ०२ (३) अधोलिखित प्रकार था।

"समिति का विनिश्चय या रिपोर्ट अन्तिम होगा, और कार्य परिषद् यथाशीघ्र, उसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा।"

Scanned with CamScanner

(iv) यदि किसी विभाग में उपाचार्य तथा प्राध्यापक भी हों तो एक प्राध्यापक, और यदि किसी विभाग में कोई उपाचार्य न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लिए:

परन्तु किसी विषय या विद्या विशेष से विशेषत: सम्बद्ध किसी मामले के लिए उस विषय या विद्या विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिए विशेषत: आमन्त्रित किया जाएगा।

८. ०५ – विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे : धारा ४९

(i) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ii) विभाग में अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(iii) विभाग में ऐसे कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में जिसके लिए विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, सिफारिश करना;

(iv) विभाग के सामान्य और विद्या विषयक रुचि के मामलों पर विचार करना।

८. ०६ – समिति का अधिवेशन एक-तिमाही में कम-से-कम एक बार होगा। इस अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायेंगे। धारा ४९

Scanned with CamScanner

परीक्षा समिति

धारा २९ तथा ४९ (क)

८.०७ - परीक्षा समिति, धारा २९ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी को किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती है, यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

अध्याय - ९

बोर्ड

धारा ४९

९. ०१ - विश्वविद्यालय में संकाय बोर्डों तथा अध्ययन बोर्डों के अतिरिक्त छात्र कल्याण बोर्ड होगा।

धारा ४९ तथा ५१

९. ०२ - छात्र कल्याण बोर्ड की शक्ति, कृत्य तथा गठन ऐसा होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय।

परन्तु अध्यादेशों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

धारा ४९ तथा ५९

९. ०३ - जब तक कि परिनियम ९.०२ के अनुसार नये बोर्ड का गठन न हो जाय, तब तक परिनियम ९. ०१ में उल्लिखित तथा इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दिनांक को वर्तमान बोर्ड कार्य करता रहेगा।

Scanned with CamScanner

अध्याय - १०

अध्यापकों का वर्गीकरण

१०. ०१ - विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :- धारा ३१ तथा ४९ (घ)

(१) आचार्य,
(२) उपाचार्य, और
(३) प्राध्यापक

१०. ०२ - विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगे : धारा ३१ तथा ४९ (घ)

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं जिनमें विद्या परिषद् की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन कार्य के हित में अथवा अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक प्राध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं जितना सामान्यतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जायं, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो। अनुसंधान सहचर अथवा अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

१०. ०३ - कार्य परिषद्, विद्या-परिषद् की सिफारिशों पर, निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है:- धारा ३१ तथा ४९ (घ)

(१) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट

Scanned with CamScanner

योग्यता के आचार्य।

(२) अवैतनिक सेवा मुक्त आचार्य –

(क) जो विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान देंगे;

(ख) जो अनुसंधान, कार्य का मार्ग-दर्शन करेंगे;

(ग) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने तथा उसके विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(घ) जिन्हें, यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं में अध्ययन तथा अनुसन्धान-कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायगी; और

(ङ) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगे;

परन्तु कोई व्यक्ति केवल विभाग में अवैतनिक सेवामुक्त आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

धारा २१ (१) (xvii)
३१
तथा ४९ (ण)

१०. ०४ – शिक्षक अथवा अध्यापन अनुसन्धान सहायक ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिनकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

अध्याय - ११

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएँ और नियुक्ति

११. ०१ - (१) मानविकी संकाय (ललित कला विभाग के सिवाय) और समाज विज्ञान, समाज कार्य और वाणिज्य संकायों की स्थिति में, विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हतायें सुसंगत विषय में कम से कम ५५ प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षिणिक अभिलेख होंगी। धारा ४९

(२) शिक्षा संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम ५५ प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि (अर्थात् एम० एड० की उपाधि) और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(३) विधि संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं ५५ प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित विधि में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(४) मानविकी संकाय में ललित कला विभाग की स्थिति में, विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

Scanned with CamScanner

या तो

सुसंगत विषय में कम से कम ५५ प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यात प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख; या सम्बद्ध विषय में या उच्च स्तरीय सराहनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत् या वृत्तिक कलाकार।

(५) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए -

(क) कोई ऐसा अभ्यर्थी; (शिक्षा और विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए किसी अभ्यर्थी से भिन्न) जिसने या तो स्नातक की उपाधि परीक्षा में ५५ प्रतिशत अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक-पृथक ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

(ख) शिक्षा संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसने या तो बी० एड० की उपाधि परीक्षा में ५५ प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक-पृथक ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा;

(ग) विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसने या तो विधि स्नातक (एल० एल० बी०) की उपाधि परीक्षा में ५५ प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक की

Scanned with CamScanner

उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक-पृथक ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

(६) परन्तु किसी अभ्यर्थी से :-

(i) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा उत्तीर्ण की हों, या

(ii) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९३ तक पी-एच०डी० की उपाधि प्रदान की गई हो, या

(iii) जिसने ३१ दिसम्बर, १९९३ तक पी-एच०डी० की उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया हो, या

(iv) जिसे ३१ दिसम्बर, १९९२ तक एम०फिल० की उपाधि प्रदान की गई हो;

ऐसे किसी व्यापक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।[१]

१- उ० प्र० शासन की अधिसूचना संख्या ५२३३/१५-१०-८०-४३ (६) ७६ दिनांक १७ नवम्बर १९८०, संख्या ४१०४/१५-१०-८४-४ (६) ८४ दिनांक २५ मई, १९८५, संख्या ९७६/१५-१०-८९-१५ (९)८८ दिनांक २५, मार्च ८९, संख्या ५८६९/१५-१०-९०-१५ (९) ८८ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९९० संख्या २१६/१५-१०-९५-१५ (१४) ९३ दिनांक १३ जनवरी, १९९५ द्वारा स्थापित (चौथा, दसवाँ, अठारहवाँ, बीसवाँ एवम्

Scanned with CamScanner

धारा ४९

११. ०२ – मानविकी (ललितकला विभाग को छोड़कर) समाज विज्ञान, समाज कार्य, वाणिज्य, शिक्षा और विधि संकायों की स्थिति में[1] –

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिए न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी अर्थात्–

(१) डाक्टर की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख, और अनुसंधान कार्य या अध्यापन पद्धति में अभिनवीकरण या अध्यापन सामग्री के उत्पादन में सक्रिय रूप से कार्यरत;

और

(२) अध्यापन या अनुसंधान कार्य

इक्कीसवां संशोधन) इसके पूर्व ११. ०१ (६) इस प्रकार था :-

(६) प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्राध्यापक के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाले किसी व्यापक परीक्षण, यदि हो, में अर्हता प्राप्त की हो।

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ४१०४/१५-१०-८४-४(६)/८४ दिनांक २५ मई, १९८५ द्वारा वाणिज्य शिक्षा एवं विधि स्थापित (दसवां संशोधन)

Scanned with CamScanner

का पांच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष प्राध्यापक के रूप में या किसी समकक्ष स्थिति में कार्य करने का अनुभव :

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसने चयन समिति की राय में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया हो, उपखण्ड (दो) में दी गई अपेक्षायें शिथिल की जा सकती हैं।

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात् -

या तो

उच्च कोटि की प्रकाशित रचना सहित प्रख्यात् विद्वता और अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत और अध्ययन कार्य का १० वर्ष का अनुभव या अनुसंधान कार्य और डाक्टर की उपाधि के स्तर पर अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव,

या

विद्या के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए संस्थापित प्रतिष्ठा सहित विशिष्ट विद्वता।[१]

१- उ०प्र० शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ५२३३/१५-१०-८०-४३(६)/७६, दिनांक १७ नवम्बर, १९८० द्वारा संशोधित (चौथा संशोधन)। इससे पूर्व परिनियम ११. ०२ इस प्रकार था :-

११. ०२ इस परिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त किया गया कोई अध्यापक उपाचार्य या आचार्य

Scanned with CamScanner

११ – ०२ (क) मानविकी संकाय में ललित कला विभाग की स्थिति में विश्वविद्यालय में उपाचार्य पद के लिए न्यूनतम अर्हतायें; निम्नलिखित होंगी अर्थात्

या तो

(क) प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख; और

(ख) दो वर्ष का अनुसंधान कार्य या वृत्तिक अनुभव या अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सृजनात्मक कार्य और उपलब्धि या विशिष्ट प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उस क्षेत्र में संयुक्त रूप से तीन वर्ष का अनुसंधान कार्य और वृत्तिक अनुभव।

या

सम्बद्ध विषयों में उच्चस्तरीय सराहनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार; और

के पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं समझा जायेगा यदि वह परिनियम ११–०१ में विहित अर्हताएं न रखता हो, परन्तु जहाँ चयन समिति की यह राय हो किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जो उसकी थीसिस या उसकी प्रकाशित रचना से प्रमाणित है, अत्यधिक उच्चस्तर का है, वहाँ वह परिनियम ११–०१ के खण्ड (१) के उप खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा को शिथिल कर सकती है।

(२) इसके अतिरिक्त, उपाचार्य या आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में निर्धारित किसी अन्य अर्हता को पूरा करेगा।

Scanned with CamScanner

(ग) उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं को उस विषय में पढ़ाने का पाँच वर्ष का अनुभव हो।[1]

चिकित्सा विज्ञान संकाय के अध्यापकों की अर्हतायें वही होंगी जो कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के अध्यापकों को अनुमन्य है।[2]

११. ०३ - परिनियम १. ०२ के खण्ड (२) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हताएँ), १९७५ के आधार पर, जैसा कि वह अधिसूचना संख्या ७२५१/१५-१०-७५-६०(११५)-७३, दिनांक २० अक्टूबर, १९७५ द्वारा संशोधन के पूर्व थी, दिनांक १ अगस्त, १९७५ और २० अक्टूबर, १९७५ के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । धारा ४९

११. ०४ - धारा ३१ (१०) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन सामान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिये आवेदन-पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनांक से देगा जिस दिनांक को समाचार-पत्र का अंक निकाला गया जिसमें विज्ञापन छपा है। धारा ३१ तथा ४९ (घ)

११. ०५ - (१) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अधिवेशन कुलपति धारा ३१ (९) तथा ४९ (घ)

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या -४१०४/१५-१०-८४-४(६)/८४ दिनांक २५ मई, १९८५ द्वारा ११. ०२ (क) स्थापित (दसवां संशोधन)।

२- कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या - ई ९७९/जी० एस० दिनांक २५-४-१९९६ द्वारा स्थापित (चौबीसवां संशोधन)।

Scanned with CamScanner

के आदेश से बुलाया जायगा।

(२) चयन समिति विश्वद्यिालय के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने इसके लिए आवेदन-पत्र न दिया हो :

परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन-पत्र न दिये हों, नाम पर विचार कर सकती है।

(३) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति, समिति या कार्यपरिषद के अधिवेशन से बाहर चला जाएगा, यदि ऐसे अधिवेशन में ऐसे सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धारा २० के स्पष्टीकरण में परिभाषित है) नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

धारा ३० तथा ३१

११.०६ - (१) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम की सिफारिश करे तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान-क्रम में रख सकती है जहाँ समिति अभ्यर्थियों के नाम अधिमान-क्रम में रखने का विनिश्चय करे वहाँ यह समझा जायगा कि उसने यह इंगित कर दिया है कि प्रथम अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(२) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायगा।

Scanned with CamScanner

११. ०७ - चयन समिति की सिफारिशें तथा उनसे सम्बन्धित कार्य-परिषद् की कार्यवाहियाँ अत्यन्त गोपनीय मानी जायेंगी। धारा ४९ (ख)

११. ०८ - यदि धारा ३१ (२) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य तथा आचरण :- धारा २१ (१) (xvii) ३१ तथा ४९ (घ)

(i) सन्तोषजनक समझा जाये तो कार्य-परिषद् परिवीक्षा-अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थायी कर सकती है।

(ii) सन्तोषजनक न समझा जाये तो कार्य-परिषद् परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

११. ०९ - चयन समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा। धारा ३० तथा ४९ (घ)

११. १० - चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना, जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी, नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी । धारा ३१ तथा ४९ (घ)

११. ११ - अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायगी। धारा ३१ तथा ४९ (घ)

Scanned with CamScanner

धारा ३१
तथा ४९ (ख)

११. १२ – चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायेगा।

११. १३ – अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में और चयन समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् ऐसे अध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखतें हो, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच तक अग्रिम-वेतन वृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में, पाँच से अधिक अग्रिम-वेतन वृद्धि देना आवश्यक हो तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।[१]

वैयक्तिक प्रोन्नति योजना

११. १४ – (१) परिनियम ११. ०२ या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे :-

उपाचार्य का पद

(i) प्राध्यापक जो पी-एच०डी० हो और इस रूप में कम से कम १३ वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

(ii) प्राध्यापक जो पी-एच०डी० न हो किन्तु इस रूप में कम से कम १६ वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

१- उत्तर प्रदेश, शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या-५२३३/१५-१०-८०-४३(६)/७६ दिनांक १७ नवम्बर, १९८० द्वारा संशोधित (चतुर्थ संशोधन)

Scanned with CamScanner

उपाचार्य जिन्होंने इस रूप में कम से कम १० वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो ।

स्पष्टीकरण : "उपाचार्य" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से होगा जिसने किसी विश्वविद्यालय में उपाचार्य के रूप में कार्य किया हो।

(२) खण्ड (१) में निर्दिष्ट सेवा किसी अनुमोदित पद पर –

(i) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में की गयी होनी चाहिए ;

(ii) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिए कि कम से कम पाँच वर्ष की स्थायी सेवा अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से नियमित चयन के पश्चात् इस विश्वविद्यालय में की गयी हो।

(३) विश्वविद्यालय का अध्यापक जो वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र हो, परिशिष्ट "ड" में दिये गये निदर्श में स्वमूल्यांकन विवरण कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके संतोषप्रद कार्य के संबंध में सूचना होगी।

स्पष्टीकरण : "सन्तोषप्रद कार्य" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापक से प्रत्याशित कार्य के

Scanned with CamScanner

निर्देश में किये गये कार्य से होगा।

(४) अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति स्व-मूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजी भी है) और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों पर जो उसके समक्ष रखा जाये या उसके द्वारा आवश्यक समझे जायं, विचार करेगी । वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए चयन समिति का अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम एक बार होगा।

(५) चयन समिति कार्य परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य परिषद् खण्ड (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक पदोन्नति स्वीकृत करेगी।

(६) प्राध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति का लाभ केवल उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए अनुमन्य होगा और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्त प्राध्यापक आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिए हकदार नहीं होंगे।

(७) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति उक्त पद का भार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(८) वैयक्तिक पदोन्नति के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्यभार में कोई कमी नहीं की जायगी।

(९) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक वैयक्तिक पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाया जाय तो वह

Scanned with CamScanner

दो वर्ष के पश्चात् ऐसी पदोन्नति के लिए पुनः आवेदन कर सकता है और उसके मामले पर विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ-साथ जो उस समय तक पात्र हो गये हों, चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(१०) यदि चयन समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को वैयक्तिक पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(११) (i) उपाचार्य या आचार्य के पद को जिस पर वैयक्तिक पदोन्नति की जाय, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायगी, और पदधारी का उक्त पद पर न रह जाने पर पद समाप्त समझा जाएगा।

(ii) उपाचार्य का आचार्य के पद पर उसे वैयक्तिक पदोन्नति दी गयी थी, न रह जाने पर, उपाचार्य के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी और इसी तरह प्राध्यापक का उपाचार्य के पद पर न रह जाने पर प्राध्यापक के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायगी।[१]

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नति योजना

११.१५ - (१) परिनियम ११.०२ या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूलल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के अध्यापक यथा स्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे :-

---

१- उत्तर प्रदेश शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या - ११२८/१५-१०-८५-९ (६)/८० दिनांक २९ मार्च, १९८५ द्वारा स्थापित (नवाँ संशोधन) तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त।

Scanned with CamScanner

उपाचार्य का पद

(१) प्राध्यापक जो अनुमोदित पद पर पी-एच० डी० हो और इस रूप में कम से कम १३ वर्ष की पूर्ण कालिक निरन्तर सेवा की हो,

(२) प्राध्यापक जो पी-एच० डी० न हो, किन्तु इस रूप में कम से कम १६ वर्ष की पूर्ण कालिक निरन्तर सेवा की हो;

आचार्य का पद

उपाचार्य जिन्होंने इस रूप में कम से कम १० वर्ष की पूर्ण कालिक निरन्तर सेवा की हो।

(२) खण्ड (१) की निर्दिष्ट सेवा

(१) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में

(२) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में, स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिए कि अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के उपखण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन के पश्चात कम से कम पाँच वर्ष की सेवा इस विश्वविद्यालय में की गई हो।

(३) विश्वविद्यालय का अध्यापक जो वैयक्तिक प्रोन्नति के लिए पात्र हो परिशिष्ट "ङ" में दिये गये निदर्श में स्वमूल्यांकन विवरण, जो उसके कार्य से सम्बन्धित है, कुल सचिव को प्रस्तुत करेगा।

Scanned with CamScanner

(४) अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति स्वमूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख (जिसमें चरित्र पंजी सम्मिलित है) और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों पर जो उसके समक्ष रक्खे जायं, या उसके द्वारा आवश्यक समझें जायं, पर विचार करेगी तथा समन्धित अध्यापक से साक्षात्कार करेगी। वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए चयन समिति का अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम एक बार होगा।

(५) चयन समिति कार्य परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य परिषद् खण्ड (६) के उपबन्धों के अधीन, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नति स्वीकृत करेगी।

(६) वैयक्तिक प्रोन्नति का लाभ विश्वविद्यालय के केवल उन्ही अध्यापकों को अनुमन्य होगा, जिन्होंने शासनादेश संख्या ५७१४/१५-११-८७-१४(५)/८७ दिनांक १० सितम्बर, १९८७ के अधीन वैयक्तिक प्रोन्नति का विकल्प समय से चुना हो।

(७) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

(८) वैयक्तिक प्रोन्नति के परिणाम स्वरूप, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के कार्य भार में कोई कमी नहीं की जायेगी, और वह अधिनियम की धारा ३१ के अधीन नियुक्त पद के लिए निर्धारित कार्य को पूर्ण करता रहेगा।

(९) किसी दशा में विश्वविद्यालय का कोई

Scanned with CamScanner

अध्यापक वैयक्तिक प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया जाता तो दो वर्ष के पश्चात प्रोन्नति के लिए पुनः आवेदन कर सकता है; और उसके मामले पर विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ जो उस समय तक पात्र हो गये हों चयन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(१०) अगर चयन समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को वैयक्तिक प्रोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(११) उपाचार्य या आचार्य के पद को जिसपर वैयक्तिक प्रोन्नति की जाय, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के सम्वर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायेगी, और पदधारी का उक्त पद पर न रह जाने पर समाप्त समझा जायेगा।[१]

अध्याय - १२

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

धारा ७ (६); १० (२) तथा ४९ (ज)

१२.०१ - डाक्टर आफ लेटर्स (डी० लिट०) अथवा महामहोपाध्याय के सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा मानविकी और समाज विज्ञान संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान

१- कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या - ई १०९०/ जी० एस० दिनांक १५-४-१९९६ द्वारा परिनियम ११.१५ स्थापित (तेइसवां संशोधन)।

किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायगी।

१२. ०२ - कार्य परिषद्, स्वतः अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा १० (२) के अधीन पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है : — धारा ७ (६); १० (२) तथा ४९ (ञ)

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

१२. ०३ - विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिए धारा ६७ के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायगा। कुल सचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरापों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। — धारा ४९ (१) तथा ६७

१२. ०४ - सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी। — धारा ४९ (१) तथा ६७

Scanned with CamScanner

अध्याय - १३

दीक्षान्त समारोह

धारा ४९ (द)

१३. ०१ - (१) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य परिषद् नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(२) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(३) दीक्षान्त समारोह में धारा ३ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे विश्वविद्यालय का नियमित निकाय गठित हो।

धारा ४९ (द)

१३. ०२ - इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

धारा ४९ (द)

१३. ०३ - जहाँ विश्वविद्यालय के लिए परिनियम १३. ०१ और परिनियम १३. ०२ के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टतायें सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

अध्याय - १४

भाग १

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

१४. ०१ - परिनियम १०. ०३ (१) में निर्दिष्ट नियुक्ति या किसी अध्यापक को १० मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई रिक्ति में धारा ३१ (३) के अधीन नियुक्ति या धारा १३ (६) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, विश्वविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'ख' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। धारा ४९ (घ)

१४.०२ - विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ग' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा। धारा ४९ (घ)

१४. ०३ - परिशिष्ट 'ग' में दी गई आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम १४. ०४ (१) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायगा। धारा ४९ (घ)

१४. ०४ - (१) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं : धारा ४९ (घ)

Scanned with CamScanner

(क) कर्तव्य की जान-बूझ कर उपेक्षा

(ख) दुराचरण;

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी;

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्धि;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(२) धारा ३१ (२) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी, या यथास्थिति ऐसी नोटिस के बदले मे तीन मास (या उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायगा, या वापस किया जायगा :

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय खण्ड (१) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी;

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

Scanned with CamScanner

१४.०५ - धारा ३२ में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहाँ जमा की जायगी। धारा ३२ (२) तथा ४९ (घ)

१४.०६ - (१) परिनियम १४.०४ के खण्ड (१) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए सिद्ध दोष होने या पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप लगा कर, उसकी सूचना जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको :- धारा २१ (२) (xvii) तथा ४९ (घ)

(i) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साथियों को बुलाने और परीक्षण करने का जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु कार्य परिषद् या उसके द्वारा जाँच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुये किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(२) कार्य परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर

Scanned with CamScanner

सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(३) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी।

(४) कार्य परिषद् अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है अर्थात् अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करना, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोकना और अध्यापक से उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से (किन्तु निर्वाह भत्ते से नहीं) वंचित करना।

धारा २१ (१) (xvii) तथा ४९ (घ)

१४. ०७ - (१) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध आरोपों की जाँच विचाराधीन है या प्रारम्भ करने का विचार है तो परिनियम ८.०१ में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम १४. ०४ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि निलम्बन का आदेश अध्यापक के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ करने के विचार से दिया जाय तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जाँच कराने का विचार था।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को -

Scanned with CamScanner

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि की स्थिति में, उसे ४८ घण्टे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से;

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये, निलम्बित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट ४८ घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि, कोई हो, विचार किया जायगा।

(३) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जाँच करने का विनिश्चय करे, वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त है।

(४) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन

Scanned with CamScanner

की अवधि में (समय-समय पर यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड २ के भाग २ के अध्याय ८ के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

धारा २१ (१) (xvii) तथा ४९ (घ)

१४.०८ - परिनियम १४.०६ के खण्ड (२) या परिनियम १४.०७ के खण्ड (१) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

धारा ३४ (१)

१४.०९ - (१) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में, धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठे भाग या तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।[१]

(२) खण्ड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में धारा ३४ (१) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये किसी कर्तव्य के लिए विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने दो मास के औसत वेतन या तीन हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक पारिश्रमिक नहीं लेगा।

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ५२३३/१५-१०-८०-४३(६)/७६ दिनांक १७ नवम्बर, १९८० द्वारा परिनियम खण्ड १४, ०९ प्रतिस्थापित (चतुर्थ संशोधन)

Scanned with CamScanner

१४.१० - इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी - धारा ४९ (घ)

(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा;

(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा।

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या परिनियम १४. ११ द्वारा जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय से त्याग पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण : इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या

Scanned with CamScanner

पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा।

धारा ४९ (घ) १४. ११ - कार्य परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगा :

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग - २

धारा ४९ (घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम :-

१४. १२ - छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी:-

(क) आकस्मिक छुट्टी;
(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;
(ग) बीमारी की छुट्टी;
(घ) कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी;
(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी
(च) असाधारण छुट्टी
(छ) प्रसूति छुट्टी ।

धारा ४९ (घ) १४.१३ - आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पद दी जायगी जो एक माह में सात दिन अथवा एक सत्र में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं

Scanned with CamScanner

जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

१४.१४ – एक सत्र में दस कार्य दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और वह ६० कार्य-दिवस तक संचित की जा सकती है। धारा ४९ (घ)

१४.१५ – बीमारी की छुट्टी, वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिए दी जायगी और संचित नहीं होगी। धारा ४९ (घ)

१४. १६ – विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा जिसमें विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिए, १५ कार्य-दिवस तक की कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी। धारा ४९ (घ)

१४. १७ – किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्ति पूर्वता के लिए दी जा सकती है : धारा ४९ (घ)

परन्तु ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पाँच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकता है :

Scanned with CamScanner

परन्तु यह भी कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्य–परिषद् के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधिछात्रवृत्ति' के लिए या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए किया गया हो, ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है ।

१४. १८ - असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से, जिन्हें कार्य–परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा

धारा ४९ (घ) सकती है, किन्तु परिनियम १४. १० में उल्लिखित परिस्थितियों

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ५२३३/१५-१०-८०-४३(६)/७६ दिनांक १७ नवम्बर, १९८० द्वारा परिनियम खण्ड १४-१७ तृतीय परन्तुक संशोधित एवं स्थापित तथा उक्त दिनांक से प्रवृत्त (चतुर्थ संशोधन) परन्तुक संशोधन के पूर्व परिनियम १४-१७ का तृतीय परन्तुक संख्या - ४१६८/१५-१०-७८-२७१/७७ दिनांक २३ अगस्त, १९७८ द्वारा स्थापित (प्रथम संशोधन) इस प्रकार था :-

"परन्तु यह भी कि किसी ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'अध्यापक अधिछात्रवृत्ति' के लिए किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिछात्रवृत्ति प्रशिक्षण की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

Scanned with CamScanner

को छोड़कर, यह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है ।[१]

स्पष्टीकरण : (१) कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गई असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतन-वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण : (२) राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग २ से ४ के फण्डामेण्टल नियम २७ के अनुसार अपना वेतन समय-मान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गई थी, लोक-

---

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या- २१०२/१५-१०-८४-१५(३)-८४ दिनांक २४ मई, १९८४ द्वारा संशोधित (सातवां संशोधन)। इससे पूर्व परिनियम १४. १८ अधोलिखित प्रकार था :-

असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह ऐसे कारणों से दी जा सकती है जिन्हें कार्य-परिषद् उचित समझे, किन्तु परिनियम १४. १० में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर वह कभी भी तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी।

Scanned with CamScanner

हित में रहा हो।[१]

धारा ४९ (घ)

१४. १९ – अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक, जो भी पहले हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है :

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा-अवधि में तीन बार से अधिक नहीं दी जायगी।

धारा ४९ (घ)

१४. २० – छुट्टी अधिकारस्वरूप नहीं माँगी जा सकती है। परिस्थितियों की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृत प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत की गई छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

धारा ४९ (घ)

१४. २१ – किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी १४ दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण–पत्र माँगने के लिए सक्षम होगा।

धारा ४९

१४. २२ – दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य-परिषद द्वारा स्वीकृत की जायगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा।

१- उत्तर प्रदेश शासन-शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या ५२३३/१५-१०-८०-४३(६(/ ७६ दिनांक १७ नवम्बर, १९८० द्वारा प्रतिस्थापित (चतुर्थ संशोधन)

Scanned with CamScanner

भाग – ३

अधिवर्षिता की आयु

१४.२३ – इस भाग में, पद "नये वेतनमान" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेश संख्या शिक्षा ११-९०४५/१५-१४(७)-७३, दिनांक २८ दिसम्बर, १९७४ के अनुसार किसी अध्यापक को अनुमन्य वेतनमान से है। धारा ४९

१४.२४ – (१) नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी। धारा ४९

(२) विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु, जो नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित न हो, साठ वर्ष होगी।

(३) इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा में अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त कोई वृद्धि नहीं की जायगी :

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक ३० जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती ३० जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी ३० जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

परन्तु यह और भी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें १९४२ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन

Scanned with CamScanner

मिल रही हो, उसकी अधिवर्षिता के दिनांक से आगामी ३० जून के पश्चात् दो वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जायेगा।

"परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को, जो द्वितीय परन्तुक के अनुसार, जैसा कि वह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (सत्रहवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, १९८८ के प्रारम्भ के पूर्व था, पुनः नियुक्ति किये गये थे और पुनः नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो, एक वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।"[१]

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग की अधिसूचना संख्या- ४३६०/१५-१०-८०-१५(६९)/ ८० दिनांक ८-१०-८० पुनः संख्या २००७/ १५-१०-८२-१५(६९)/ ८० दिनांक ३०-६-८२ तथा संख्या- ३५९८/१५-१०-८५-१० (६) ८५ दिनाक २९ जून, १९८५, तथा संख्या-३६५६/१५-१०-८५-१५(१८५)/८४ दिनांक २ अगस्त, १९८५ तथा संख्या ५६४०/१५-१०-८६-१० (६)/८५ दिनांक २९ दिसम्बर, १९८७ एवं संख्या-४४०३/१५-१०-८८-१५(८५)/८४ दिनांक ३० जून, १९८८ द्वारा तीसरा, छठवां, ग्यारहवां, बारहवां, चौदहवां एवं सत्रहवां समय समय पर संशोधित एवं परिवर्धित। इन संशोधनों के पूर्व परिनियम इस प्रकार था -

"परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक ३० जून को न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती ३० जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी ३० जून तक फिर से नियोजित समझा जायेगा।

Scanned with CamScanner

भाग - ४

अन्य उपबन्ध

१४.२७ - इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ग' के साथ पठित परिशिष्ट 'ख' में दिये गये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी। धारा ३२ तथा ४९

१४.२८ -परिनियम १४.०४ (१) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय या ऐसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा : धारा ४९

१४.२९ - (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट 'घ' में दिये गये प्रपत्र में अपनी वार्षिक शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा। धारा ४९

(२) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व, विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा।

(३) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त

Scanned with CamScanner

होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चातवर्ती हो, दी जायगी।

धारा ४९

१४.३० - विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

धारा ४९

१४.३१ - जहाँ अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती है।

अध्याय - १५

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा १६ (४) तथा ४९ (घ)

१५.०१ - इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा १६ (४) तथा ४९ (घ)

१५.०२ - कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

धारा ४९ (घ)

१५.०३ - संकायों के संकायाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप

Scanned with CamScanner

की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा :

परन्तु जब दो या उससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

१५.०४ – विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा : धारा ४९ (घ)

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

१५. ०५ – विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :- धारा ४९ (घ)

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ख) "एक ही संवर्ग में, वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे सम्वर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों और, यथा स्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद्

Scanned with CamScanner

द्वारा अधिमानता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी।

परन्तु यह और की जहाँ एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गई हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृतपद पर थी।''[१]

(ग) जब (महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत् स्थानीय पंक्ति या श्रेणी के पद पर चाहे पहली अगस्त, १९८१

१- उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या- ११२८/१५-१०-८५-९(६)/८० दिनांक २९ मार्च १९८५ द्वारा स्थापित (नवां संशोधन) इसके पूर्व परिनियम १५. ०५ (ख) इस प्रकार था :-

''एक ही संवर्ग में, किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उस संवर्ग में, मौलिक रूप में उसकी अनवरत सेवा-अवधि के अनुसार अवधारित की जायगी :

परन्तु जहाँ संवर्ग के पदों पर एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय की गयी हों, और, यथास्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता-क्रम इंगित किया गया हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियन्त्रित होगी।''

Scanned with CamScanner

के पूर्व या उसके पश्चात, नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवा काल में सम्मिलित किया जायेगा।[1]

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायगा।[2]

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या- १५०/१५-१०-८२-११ (१२)/८१ दिनांक ५ अप्रैल, १९८२ द्वारा संशोधित (पाँचवां संशोधन) इसके पूर्व १५. ०५ (ग) इस प्रकार था :-

"जब (महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के किसी घटक महाविद्यालय या संस्थान में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्सम्बन्धी पंक्ति या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवा काल में सम्मिलित किया जायेगा।"

२- उत्तर प्रदेश शिक्षा (१०) अनुभाग के पत्र संख्या- ५२३३/१५-१०-८०-४३(६)/७६ दिनांक १६ नवम्बर, १९८० द्वारा संशोधित (चतुर्थ संशोधन)। इसके पूर्व १५. ०५ (घ) इस प्रकार था :-

Scanned with CamScanner

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय पद के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय में, पद "प्रशासकीय नियुक्ति" का तात्पर्य धारा १३ की उपधारा (६) के अधीन की गयी नियुक्ति से है।

(च) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात् नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धारा ३१ (३) (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिये की जायगी।

धारा ४९ (घ)

१५. ०६ - जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हो, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायगी :-

(१) आचार्यों की स्थिति में, उपाचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा :

(२) उपाचार्यों की स्थिति में प्राध्यापक के रूप

"जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि को उसकी सेवा में सम्मिलित किया जायेगा।"

Scanned with CamScanner

में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा;

(३) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा की अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

१५.०७ - जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है वहाँ ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायगी। धारा ४९ (घ)

१५.०८ - (१) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद् :- धारा ४९ (घ)

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों की योग्यता-क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा ३१ (८) (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता-क्रम अवधारित करेंगे।

Scanned with CamScanner

(२) ऐसे योग्यता-क्रम की जिसमें खण्ड (१) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायें, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा १९ (ञ) तथा ४९ (घ)

१५.०९ - (१) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो संकायाध्यक्ष होंगे :

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादग्रस्त हो) संबंध हो, संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(३) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

अध्याय - १६

प्रकीर्ण

धारा ७ (१२) तथा ४९ (त)

१६.०१ - विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (जिसके अन्तर्गत यांत्रिक अधिछात्रवृत्तियां भी हैं), विद्यावृत्तियां,

Scanned with CamScanner

पदक तथा पारितोषिक संस्थित और उन्हें प्रदान कर सकता है।

१६.०२ - विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट 'क' में निर्धारित रीति से होंगे। धारा ४९ तथा ६४

१६.०३ - इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी :-

(१) किसी विद्या वर्ष में ३१ अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जायगा,

(२) किसी विद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षाएँ ३० अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी; और

(३) १५ जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगे;

परन्तु १९८६-८७ के विद्या सत्र के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएँ १५ जून, १९८७ तक पूरी की जा सकती हैं, सभी परीक्षा फल ३१ जुलाई १९८७ तक घोषित किये जा सकते हैं और सत्र १९८७-८८ के लिए प्रवेश १५ सितम्बर, १९८७ तक पूरे किये जा सकते हैं।[१]

१६.०४ - किसी अभ्यर्थी को अपने परीक्षाफल

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) पत्र संख्या ३२६५/ १५-१०-८७-१५ (३८२)/८६ दिनांक ८ जुलाई १९८७ द्वारा स्थापित (तेरहवाँ संशोधन)।

Scanned with CamScanner

में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में, पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी० एड० परीक्षा के या एल-एल० बी० के किसी एक वर्ष की परीक्षा के, या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्नपत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।[१]

१६. ०५ - महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों/अकेन्द्रयित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेवायोजित किया जायेगा :-

(१) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में सेवारत किसी पूर्णकालिक नियमित/अस्थायी शिक्षक अथवा/अकेन्द्रयित शिक्षणेतर कर्मचारी के सेवाकाल में

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) पत्र संख्या - ३२६५/१५-१०-८७-१५(३८२)/८६ दिनांक ८-७-१९८७ द्वारा परिनियम १६. ०३ एवं ०४ (तेरहवां संशोधन) तथा संख्या ४१७१/१५-१०-८८-१५-३८२/८६ दिनांक २५ जून १९८८ संशोधित एवं स्थापित (सोलहवां संशोधन)। इससे पूर्व परिनियम १६. ०४ इस प्रकार था :-

"विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जायगा और अनुपूरक परीक्षाएं संचालित नहीं की जायेगी :

परन्तु परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में पूर्व स्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी० एड० परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में या एल-एल० बी० परीक्षा के किसी एक वर्ष के एक प्रश्न पत्र में या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के एक प्रश्न पत्र में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।"

Scanned with CamScanner

मृत्यु की दशा में उसके कुटुम्ब के एक ऐसे सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए शिक्षणेतर सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो यदि ऐसा व्यक्ति -

(क) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

(ख) अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह हो।

(ग) विश्वविद्यालय के शिक्षक अथवा अकेन्द्रयित शिक्षणेतर कर्मचारी के मृत्यु के दिनांक से ५ वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।

इस प्राविधान के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

उपर्युक्त संशोधन अ० शा० प० सं० शि० (१०)/३६३७/१५-६३ (११४)/१९७४ दिनांक १० फरवरी, १९७५ के क्रम में प्रवृत्त समझा जायेगा।[१]

---

१ - कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई - १८६०/जी० एस० दिनांक ८ मई, १९९६ द्वारा परिनियम १६.०५ स्थापित (पचीसवां संशोधन)

अध्याय - १७

अधिभार

धारा ९ (झ)

१७.०१ - जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में -

(१) "परीक्षक" का तात्पर्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।

(२) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(३) "विश्वविद्यालय का अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा ९ के खण्ड (ग) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम २.०१ (क) के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

१७.०२ - किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिये जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाय और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के

Scanned with CamScanner

भीतर प्रस्तुत किया जायगा :

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायगा।

टिप्पणी : (१) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायगा और दिखाया जायगा।

(२) खण्ड (१) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है –

(क) जहां व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो,

(ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च्च टेंडर स्वीकार करने से हुई हो;

(ग) जहाँ विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस परिनियम के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

Scanned with CamScanner

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो;

(ङ) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(३) उस अधिकारी की जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधायें देगा। परीक्षा, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों से नहीं कर सका है।

स्पष्टीकरण : अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति करने को अवचार करना समाझा जायगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

१७.०३ – विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है :

Scanned with CamScanner

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्तत: और पृथक्त: देनदार होगा :

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी न हो।

१७.०४ – परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

१७.०५ – (१) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से, एक वर्ष से अधिक न हो जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरुद्ध परिनियम १७. ०४ के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले

Scanned with CamScanner

व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती है जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(२) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

१७.०६- जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब के करे।"[१]

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) पत्र संख्या ९२८/१५-१०-८५-१५ (७५)/८३ दिनांक १५ मार्च, १९८५ द्वारा स्थापित अध्याय १७ (आठवां संशोधन) (१५ मई, १९७७ से प्रवृत्त)

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

(परिनियम ४. ११ और १६. ०२ देखिए)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन

भाग - १
सामान्य

१- जब तक कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो :

(i) "**अभ्यर्थी**" का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक रूप से नाम-निर्दिष्ट किया गया हो;

(ii) "**अनवरत अभ्यर्थी**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समय विशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो;

(iii) "**निर्वाचक**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिए, सम्यक रूप से अर्ह हो;

(iv) "**निःशेष-पत्र**" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए कोई अग्रतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायगा, यदि -

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम चाहे वे अनवरत हों या न हों, समान अंक से चिन्हित हों और उनका स्थान अधिमान क्रम में अगला हो; या

(ख) अधिमान-क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह अनवरत हो या न हो -

(१) ऐसे अंक से चिन्हित हो जो मतपत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात् क्रमानुसार न हो; या

(२) दो अथवा अधिक अंकों से चिन्हित हो।

(v) "**प्रथम अधिमान मत**" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष मे मत से है

Scanned with CamScanner

ज़िसके नाम के सामने मतपत्र में अंक "१" लिखा हो; "**द्वितीय अधिमान-मत**" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक "२" लिखा हो, "**तृतीय अधिमान-मत**" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक "३" लिखा और इसी प्रकार क्रम में आगे भी लिखा हो;

(vi) किसी अभ्यर्थी के संबंध में, "**मूल मत**" का तात्पर्य ऐसे मतपत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो;

(vii) "**कोटा**" का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांक से है जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हों;

(viii) "**आधिक्य**" का तात्पर्य उस संख्या से है जितने से कि किसी अभ्यर्थी के मूल और संक्रमित मतों का मूल्यांक कोटा से अधिक हों;

(ix) किसी अभ्यर्थी के संबंध में, "**संक्रमित मत**" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिए, द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांक का भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय;

(x) "**अनिःशेष पत्र**" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिए अग्रतर अधिमान अभिलिखित हो।

२- **कुलसचिव** रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

३- **कुलपति**

(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए परिनियमों के उपबन्धों के अनुरूप दिनांक नियत करेगा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति होगी।

(ii) सन्देह की दशा में, किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चिय करेगा।

४- सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिनके विषय में कुलपति सुविधः तथा मितव्ययिता

Scanned with CamScanner

के कारण निर्देश दे) डाक द्वारा मत-पत्र से किया जायगा। अन्य निर्वाचन सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किये जायेंगे।

५- मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा -

विश्वविद्यालय का नाम

.... निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा निर्वाचन

(अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान-क्रम १, २, ३ इत्यादि अंकों द्वारा रिक्त स्थान में इंगित किये जायेंगे)

....

....

....

६- निर्वाचक अपना मत देनें में -

(i) अपने मतपत्र पर अंक १ उस अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखेगा जिसको कि वह अपना मत दे; और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता को उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः २, ३. ४ तथा इसी प्रकार अविच्छिन्न अंकों द्वारा लिख कर व्यक्त कर सकता है।

७ - वह मत-पत्र अविधिमान्य होगा -

(i) जिस पर अंक १ न लिखा हो; या

(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक १ लिखा हो; या

(iii) जिस पर अंक १ तथा कोई अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखा हो; या

(iv) जिस पर अंक १ ऐसा लिखा हो जिससे यह सन्देह हो कि वह किसी अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेत है; या

(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिन्ह बना हो

Scanned with CamScanner

जिससे कि मतदाता बाद में पहचाना जा सके; या

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिटाया गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो; या

(vii) जो उक्त प्रयोजन के लिए व्यवस्थित प्रपत्र न हो।

भाग - २

डाक मत-पत्र द्वारा संचालित निर्वाचन

८- डाक मत-पत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ होने के कम से कम तीन मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास, उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा, जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की एक सूची होगी।

९- कुलसचिव को, मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को, जो उसकी जानकारी में लाया जाय, ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायगी, भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो, और एक प्रमाण-पत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तथा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि हो, अभिलिखित किया जायगा।

१०- प्रत्येक निर्वाचक को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम-निर्देशन का विकल्प होगा।

११- प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायगा, और उसके साथ निर्वाचन के लिए नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित होगी या नाम-निर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गई होगी। उसमें नाम-निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं। किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम-निर्देशन-पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो, प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

Scanned with CamScanner

१२- नाम-निर्देशन-पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायगा जो नाम-निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

१३- कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम-निर्देशन की प्राप्ति के लिए अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनुप्रमाणन पर सम्बन्धित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए।

१४- कुलसचिव नाम-निर्देशन पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहे, उस पर उपस्थित हो सकते हैं।

१५- कुलसचिव विधिमान्य नाम-निर्देशनों की एक सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम-निर्देशन-पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय, तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदन-पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। तत्पश्चात् वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

१६- यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिए पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायगा और ऐसा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझा जायगा।

१७- यदि सम्यक् रूप से नाम-निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायगा।

१८- कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के १५ दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक

Scanned with CamScanner

को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा जिस पर केवल निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बाईं ओर निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या, निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करेगा।

१९ - (i) निर्वाचक अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित करायेगा :-

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुल सचिव;
(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष;
(ग) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी।

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा।

(iii) निर्वाचक मतपत्र को, बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के, सम्यक् रूप से भरकर छोटे लिफाफे में बन्द करेगा, और तब उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण-पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बन्द कर देगा और उसे सम्यक् रूप से मुहर बन्द करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

२०- मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहुँच जाना चाहिये। यदि नियत समय और दिनांक के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

२१- यदि दो या उससे अधिक मत-पत्र एक ही लिफाफे में भेजे जायँ तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

२२- कोई मतदाता जिसे अपना मत-पत्र तथा अन्य संबंधित पत्रादि प्राप्त न हुए हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये

Scanned with CamScanner

जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों, इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र कुलसचिव को भेजकर उनके प्राप्त न हुए, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर, पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव, प्राप्त न हुए, खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर, यदि उसका समाधान हो जाय, "द्वितीय प्रति" अंकित करके, दूसरी प्रति जारी कर सकता है।

२३- कुलसचिव मत-पत्रों को उनकी संवीक्षा के लिए निश्चित दिनांक और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

२४- संवीक्षा के दिनांक, समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायगी जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मत-पत्र का निरीक्षण करने की माँग करने का हक नहीं होगा।

२५- कुलसचिव को, यदि आवश्यक हो, ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायगी जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिए नियुक्त करे।

२६- नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर कुलसचिव मत पत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा उनकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

२७- विधिमान्य मत-पत्रों को छांटकर उनकी पार्सल बनायी जायेगी। एक पार्सल में वे समस्त मत-पत्र होंगे जिसमें किसी विशिष्ठ अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

२८- इस परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रत्येक मत-पत्र का मूल्यांकन एक सा समझा जायगा।

२९- परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कुलसचिव

(i) सभी भिन्नों की उपेक्षा करेगा;

Scanned with CamScanner

(ii) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान न देगा।

३०- कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मतपत्रों के मूल्यांक का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक हो, तथा भागफल में एक जोड़ेगा। इस प्रकार प्राप्त संख्या 'कोटा' होगी।

३१- यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर लें जितने कि निर्वाचित होने हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

३२- (i) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के अथवा उससे अधिक हो, निवाचित घोषित कर दिया जायगा।

(ii) (iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत-पत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगें।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मत-पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान-क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हो।

३३- (i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहित किसी प्रयोग के फलस्वरूप जब कभी किसी अभ्यर्थी को कुछ आधिक्य प्राप्त हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया जायगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो, तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायगा तथा परिणाम के न्यूनता-क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में उद्‌भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उद्‌भूत आधिक्य से पहले बरता जायगा और यही-क्रम आगे भी चलेगा।

Scanned with CamScanner

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त उपखण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाय।

(vi) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जानेवाला आधिक्य केवल मूल मतों से उद्भूत हों, तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के, जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जानेवाला हो पार्सल के सब मतपत्रों के जांच करेगा और अनि:शेष पत्रों को उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा। वह नि:शेष पत्रों का भी एक पृथक उप-पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल मतपत्रों का तथा अनि:शेष मतपत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा।

(ग) यदि अनि:शेष मतपत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वह सब अनि:शेष मतपत्रों को उस मूल्यांक पर, जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे, जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो, संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनि:शेष पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनि:शेष पत्रों के उप-पार्सलों का संक्रमण करेगा और मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मत-पत्र संक्रमित किया जायेगा, आधिक्य को अनि:शेष पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जानेवाला आधिक्य संक्रमित तथा मूलमतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त से संक्रमित उपपार्सल के समस्त मत-पत्रों की पुन: जाँच करेगा तथा अनि:शेष पत्रों को उन पर अधिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरान्त वह उप-पार्सलों से उसी रीति से बरतेगा जैसी कि पूर्वगामी अन्तिम उपखण्ड में निर्दिष्ट उप-पार्सलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मत-पत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले के ही मतपत्रों में उप-पार्सल के रूप में मिला दिये जाएंगे।

(vii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उप-पार्सलों के वे सब मतपत्र

Scanned with CamScanner

जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

३४ - (i) यदि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पश्चात् अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हुये हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनि:शेष पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हों, कोई नि:शेष अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिया जायगा।

(ii) उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूलमत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम संक्रमित किया जायगा, प्रत्येक मत-पत्र का संक्रमण मूल्यांक एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमे किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संक्रमित मत हों, संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुये हैं।

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक् संक्रमण समझा जायगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निर्देशित प्रक्रिया तब तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबन्धों के अनुसार न हो जाय।

३५- यदि मत-पत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायगी, किन्तु अग्रेतर कोई मत-पत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायगा।

३६- (i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायगा।

Scanned with CamScanner

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो सभी मत-पत्र जिनपर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को मत-पत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय तो तदुपरान्त किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद् पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायगा।

३७ - (i) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घटकर अपूर्त रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जायें, तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) जब केवल एक रिक्त स्थान अपूर्त रह जाये और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मत पत्रों का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(iii) जब केवल एक ही रिक्ति अपूर्त रह जाये और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाये तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

३८- जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हो, और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो जाय और दो या अधिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मत पत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो यथास्थिति उसका आधिक्य पहले वितरित किया जायगा अथवा उसको पहले अपवर्जित किया जायगा। यदि उनके मूल मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हों तो कुलसचिव पर्ची डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाये अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

Scanned with CamScanner

३९- पुनर्गणना - यदि कुलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट न हो तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता है :

परन्तु यहां दी किसी बात से कुल सचिव के लिये यह बाध्यकर नहीं होगा कि वह उन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

४०- संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात्, कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

४१- कुल सचिव नाम-निर्देशन पत्र तथा मत-पत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिये सुरक्षित रखा जायगा।

भाग - ३

अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

४२- विश्वविद्यालय प्राधिकारी के किसी अधिवेशन में आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम-निर्देशन आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक् रूप से बुलाये गये अधिवेशन में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के उपस्थित सदस्यगंण निर्वाचन में भाग लेंगे। निर्वाचन के लिये नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये तथा वापस लिये जा सकते हैं। मतदाताओं को दिये गये मत-पत्रों में वे नाम होंगे जिनकी सूचना छपने के लिए ठीक समय पर प्राप्त हो गयी हो तथा उसमें अन्य नाम जिनके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी हैं, बढ़ाने के लिये रिक्त स्थान होगा, कुलसचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिवेशन की, जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा, और उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायगी।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम १४. ०१ देखिये)

विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का पत्र

यह करार आज दिनांक ....१९............ को श्री/श्रीमती/कुमारी .... प्रथम पक्ष तथा .... विश्वविद्यालय (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया;

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :-

१- विश्वविद्यालय एतद्द्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री/श्रीमती/कुमारी.. को दिनांक .... से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है, अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना और किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्यकलाप के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्य चर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायँ, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता/करती है, जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा :

परन्तु अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्यपरिषद् स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

Scanned with CamScanner

२- अध्यापक विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

३- प्राध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान .... होगा। अध्यापक को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतन-मान में .... रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायगा और वह, ज़ब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन-वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा :

परन्तु जहाँ समयमान में कोई दक्षता-रोक विहित है, वहाँ दक्षता-रोक के ऊपर अगली वेतन-वृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वेतन-वृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी।

४- अध्यापक, विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

५- अध्यापक, एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

६- किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, सचित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुएँ, जो उसके कब्जे में हों, विश्वविद्यालय को दे देगा।

७- समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट किये और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायगा मानो वे इसमें प्रत्युत्पादित किये

Scanned with CamScanner

गये हों, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....
अध्यापक के हस्ताक्षर

....
विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

१ ....

२ ....

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'ग'

(परिनियम १४. ०२ और १४. २७ देखिए)

अध्यापकों के लिए आचरण संहिता

यत: जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र-निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरुक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओतप्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है;

अत: उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुत: निष्ठापूर्वक किया जाय;

१- प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता से करेगा।

२- कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा, न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

३- कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध या अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

४- कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद-भाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

५- कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं करेगा।

६- कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

Scanned with CamScanner

७- कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार अंशकालिक गृह शिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षाएं नहीं चलायेगा।

८- सभी अध्यापक कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

९- शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहाँ तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश लेगा।

१०- विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

११- विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण परिप्रेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येतर गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

१२- प्रत्येक अध्यापक लोकतंत्र, देश भक्ति और शान्ति के उपदेशों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवम् शारीरिक श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करेगा और १५ अगस्त, २ अक्टूबर एवम् २६ जनवरी आदि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर स्वदेशी की भावना को जागृति करने हेतु यथा संभव खादी वस्त्रों का प्रयोग करेगा और छात्र छात्राओं को भी प्रेरित करेगा।[१]

१- कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या - ई १८६०/जी० एस० दिनांक ८-५-१९९६ द्वारा क्रमांक ७ से १२ तक स्थापित (पचीसवां संशोधन)।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'घ'

प्रपत्र

(परिनियम १४. २९ देखिये)

शैक्षिक सत्र .... की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट

१– अध्यापक का नाम ....

२– विभाग जिससे वह सम्बद्ध हो ....

३– क्या प्राध्यापक, उपाचार्य, आचार्य आदि है ....

४– सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हतायें या विशिष्टतायें, यदि कोई हों ....

५– प्राध्यापक की प्रकाशित रचनायें या उसके द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य और या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि विवरण ....

६– सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसन्धान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसन्धान कार्य के लिये उपाधि प्रदान की गयी ....

७– सत्र के दौरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठन कक्षा को छोड़ कर) की संख्या ....

८– अभ्युक्ति

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुएँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

अध्यापक का हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

प्रति हस्ताक्षरित

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'ङ'

(परिनियम ११. १४ देखिए)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

स्व-मूल्यांकन विवरण का निदर्श

दिनांक ....

खण्ड-एक

१- नाम ....

२- पदनाम ....

३- जन्म दिनांक ....

४- शैक्षिक अर्हताएं ....

५- विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक ....

६- स्थायीकरण का दिनांक ....

७- अध्यापन कार्य का अनुभव :

संस्था का नाम	धृत पद	किस दिनांक से	किस दिनांक तक	कुल अवधि

-- यह भी इंगित करें कि क्या अस्थायी/तदर्थ/अस्थायी है।

Scanned with CamScanner

८- विभिन्न स्तर पर अध्यापित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का नाम
(विस्तृत व्योरा दीज़िए)
(क) अधि स्नातक
(ख) स्नातकोत्तर

९- गत तीन वर्षों में अध्यापित पाठ्यक्रम (ठीक-ठीक व्योरा दीजिए)
(क) अधि स्नातक
(ख) स्नातकोत्तर

-- कृपया समस्त स्तम्भों को भरें। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ "लागू नहीं है" लिखिए।

१०- पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के लिए सामग्री के स्रोत का व्योरा जिनका आपने अध्ययन किया (पुस्तकें, जर्नल आदि)।

११- आपके द्वारा प्रयोग की गयी अध्यापन की रीति का व्योरा (अध्यापन, ट्यूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)

१२- पिछले शिक्षा सत्र के दौरान ट्यूटोरियल का व्योरा

अधिस्नातक पाठ्यक्रम **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम**

कितनी बार निर्दिष्ट कार्य की जांच।

१३- पिछले शिक्षा सत्र में आवंटित कक्षायें नीचे दी गयी नियमितता के किस स्तर में ले सके :-
(जो प्रयोज्य हो उस पर घेरा बना दीजिए)

(क) ९० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक
(ख) ८० प्रतिशत से ९० प्रतिशत तक
(ग) ७० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक
(घ) ७० प्रतिशत से नीचे

Scanned with CamScanner

खण्ड - दो

१- निम्नलिखित उपाधियों का व्योरा दीजिए :-

विश्वविद्यालय	उपाधि	दिये जाने का वर्ष	शोध प्रबन्ध का विषय
	एम० फिल०		
	पी-एच० डी०		
	डी० लिट०		
	डी० एस-सी०		

२- शोध प्रबन्ध (थीसिस) यदि प्रकाशित हुआ हो, का व्योरा (इसकी एक प्रति संलग्न की जाय)

३- प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, विशेष निबन्ध (मोनाग्राफ), समीक्षा (रिव्यूज), पुस्तक के प्रकरण, अनुवाद और सृजनात्मक रचना आदि, यदि कोई हो, का व्योरा।

४- सम्मेलन, संगोष्ठी, कर्मशाला (वर्कशाप) जिनमें भाग लिया। प्रस्तुत किये गये निबन्ध और/या धृत पदीय स्थिति का व्योरा दीजिए।

५- ग्रीष्मकालीन संस्थान, अभिनव (रेफ्रेशर) या अभिस्थापन पाठ्यक्रम (ओरियन्टेशन कोर्स) जिसमें भाग लिया। व्योरा दीजिए।

६- शोध मार्गदर्शन (रिसर्च गाइडेन्स) वृत्तिक परामर्श (प्रोफेशन कन्सल्टेंसी) यदि कोई हो, का व्योरा।

७- वृत्तिक/शैक्षिक निकायों, सोसाइटी आदि की सदस्यता या फेलोशिप (व्योरा दीजिए)।

८- ऐसे शैक्षिक कार्यकलापों के संबंध में जो इस खण्ड के अन्तर्गत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

खण्ड - तीन

अपनी संस्था के समष्टिगत जीवन (कारपोरेट लाइफ) में अपने अंशदान का व्योरा :

१- (क) पाठ्यचर्या विकास

Scanned with CamScanner

(ख) सांस्कृतिक/पाठ्येतर कार्य-कलाप

(ग) खेलकूद/सामुदायिक और प्रसार सेवायें

(घ) प्रशासनिक कार्य

(ङ) कोई अन्य

२- कोई अन्य सूचना जो उपर्युक्त प्रश्नावली के अन्तर्गत न आती हो।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हस्ताक्षर ....

विभाग ....

१- उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (१०) पत्र संख्या ११२८/१५-१०-८५-९ (६)/८० दिनांक २९ मार्च, १९८५ द्वारा परिनियम ११-९५ परिशिष्ट 'ङ' स्थापित (नवां संशोधन)।

Scanned with CamScanner

APPENDIX 'E'

(SEE STATUTE 11.14)

MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPITH, VARANASI

(PROFORMA FOR SELF ASSESSMENT)

Date ....

SECTION I

1. Name ....
2. Designation ....
3. Date of Birth ....
4. Academic Qualifications ....
5. Date of joining the University...................
6. Date of Confirmation ....
7. Teaching Experience ....

Name of Institution	Position Held From	To	Total Period

Scanned with CamScanner

-- Indicate also whether temporary/Adhoc/Permanent.

-- Please fill in all columns. Write 'Not Applicable, wherever necessary.

8. Courses taught at various levels (Name the courses, give details).

(a) Under-graduate
(b) Post-graduate

9. Courses taught during the last three years (give exact details) :

(a) Under-graduate
(b) Post-graduate

10. Details of source of materials consulted by you for the courses taught (books, journals etc.)

11. Details of teaching methods employed by you : (lectures, tutorials, seminars, practicals etc.)

12. Details of Tutorials during the last academic year:

	Under gradate courses	Post graduate courses
Number held :		
Assignment Checked:		

13. Were you able to meet the classes allotted to you during the last academic year in any of the levels of regularity given below: (Circle what is applicable) :

Scanned with CamScanner

(a) 90% to 100%
(b) 80% to 90%
(c) 70% to 80%
(d) below 70%

SECTION II

1. Give details of the following degrees –

	University	Year of the award	Topic of dissertation
M. Phil			
Ph. D			
D. Litt.			
D. Sc.			

2. Details of thesis, if published (A copy may be enclosed).

3. Details of published research papers, books, monographs, reviews, chapter in books, translations and creative writing etc. if any.

4. Participation in conferences, seminars, workshops. Give details of the papers presented and/or official position held.

5. Summer Institutes, refresher or a orientation course attended. Give details.

6. Details of Research guidance/Professional consultancy, if any.

7. Membership or Fellowship of Professional/Academic Bodies, Societies etc. Give details.

8. Any other information regarding academic activities not covered under this section.

Scanned with CamScanner

SECTION III

Details of your contribution to the corporate life of your Institution :

1. (a) Curriculum development.
   (b) Cultural/extra curricular activity
   (c) Sports/Community and extension services.
   (d) Administrative Assignment.
   (c) Any Other

2. Any other information not covered in the above questionnair.

I certify that the information given above is correct and factual to the best of my knowledge.

Signature

Department

---

1. Added by U.P. Government Education (10) vide letter no. 1128/15-10-85-9(6)/80 dated 29 March 1985.

Scanned with CamScanner

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (प्रथम संशोधन) परिनियमावली, 2011

अध्याय–1

प्रारम्भिक

धारा 50 (1)

1.01 (1) यह परिनियमावली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (प्रथम संशोधन) परिनियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

अध्याय -- 2

कुलपति

धारा 13 (9) और 49 (ग)

2.01 (5) कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसन्धान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझे को माँगने की शक्ति होगी।

परीक्षा नियंत्रक

2.07 क(1) परीक्षा नियंत्रक के कार्य, अधिकार तथा दायित्व अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप होंगे।

(2) परीक्षा नियंत्रक के पद के रिक्ति की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के किसी आचार्य अथवा अधिकारी को परीक्षा नियंत्रक के सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त कर सकता है।

विभागाध्यक्ष

धारा–49

2.19 (1) विश्वविद्यालय के अध्यापन के प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जो उस विभाग का प्रधान होगा। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा, यथासम्भव, चक्रानुक्रम के सिद्धान्तों का अनुपालन करते हुए की जायेगी। ऐसी नियुक्तियाँ कार्य परिषद् को संसूचित की जायेंगी।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कारणवश किसी वरिष्ठ शिक्षक की विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्भव नहीं हो सकी, जो वर्तमान (चक्रानुक्रम) में विभागाध्यक्ष के रूप में सेवा कर चुके अथवा सेवा कर रहे कनिष्ठ शिक्षक/शिक्षकों से वरिष्ठ है, तो यह कुलपति के अधीन है कि वह सम्बन्धित विभाग में जब भी विभागाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उस वरिष्ठ शिक्षक को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, यदि वह इस प्रकार की नियुक्ति की पात्रता रखता है।

(3) विभागाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। एक व्यक्ति, सामान्यतः, दूसरी क्रमिक आवृत्ति के लिये विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

(4) खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति लम्बित रहने तक अथवा अवकाश पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में, कुलपति पूर्णरूपेण स्थानापन्न आधार पर, स्थिति का आंकलन करते हुए, विभाग के आचार्य अथवा किसी उपाचार्य/सह आचार्य को विभागाध्यक्ष को तात्कालिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने अथवा विभागाध्यक्ष की भाँति कार्य करने का, जैसा भी प्रकरण हो, निर्देश दे सकते हैं।

टिप्पणी: चक्रानुक्रम का सिद्धान्त वरिष्ठता क्रम से लागू होगा। जो व्यक्ति विभागाध्यक्ष के रूप में पहले सेवा कर चुका है अथवा कर रहा है, उसके तत्काल बाद जो वरिष्ठ शिक्षक है, वही विभागाध्यक्ष पद का अधिकारी होगा।

(5) प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक आचार्य होगा, परन्तु यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य है अथवा कोई आचार्य विभागाध्यक्ष बनने की पात्रता नहीं रखता, तो उपाचार्य/सह आचार्य विभागाध्यक्ष नियुक्त हो सकता है और जब विभाग में कोई भी अध्यापक विभागाध्यक्ष होने की पात्रता नहीं रखता तो सम्बद्ध संकायाध्यक्ष उस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(6) जिन विभागों के विभागाध्यक्षों ने अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है उन्हें परिवर्तित कर दिया जाये तथा जिन विभागाध्यक्षों ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है उन्हें विभागाध्यक्ष के रूप में शेष कार्यकाल पूरा करने के बाद ही परिवर्तित किया जाये।

परन्तु यह भी कि औषधि विज्ञान संकाय एवं दन्त विज्ञान संकाय के विभागों में नियुक्त वही प्राध्यापक विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होंगे जो क्रमशः भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा भारतीय दन्त परिषद् द्वारा विहित स्नातकोत्तर उपाधि धारित करते हों।

संस्थान का निदेशक

धारा 2(7) एवं 44

2.19–क : प्रत्येक संस्थान का आचार्य अथवा उपाचार्य/सह आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से उसका निदेशक होगा जो विभागाध्यक्षों के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

धारा 49 (ग)

2.20– (1) विश्वविद्यालय में एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किये जा सकते हैं। चयन समिति का गठन, उसका स्वरूप, चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति का ढंग आदि वही होंगे जो धारा–31 में क्रमशः आचार्य, उपाचार्य/सह आचार्य एवं प्रवक्ता/सहायक आचार्य के लिए उपबन्धित हैं।

2.21 पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

Scanned with CamScanner

2.22 पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की उपलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाय।

धारा 9(ख)

अध्याय–2क

2क.01– कार्य परिषद के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

निदेशक, महाविद्यालय विकास समिति

2क.02– निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद की नियुक्ति विश्वविद्यालय के आचार्यों में से कुलपति की संस्तुति पर कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।

2क.03– निदेशक द्वारा कुलपति को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के विनियमन तथा विकासात्मक कार्य सम्बन्धी प्राधिकारी के अनुपालन में सहायता एवं सलाह प्रदान की जायगी और वह उस सम्बन्ध में उन अधिकारों के परिपालन तथा कर्तव्यों के निष्पादन को सुनिश्चित करेगा जो कि उसे समय–समय पर कुलपति द्वारा सन्दर्भित किया जाये।

2क.04– निदेशक एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा :
परन्तु अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा निदेशक को हटाया जा सकेगा।

अध्याय – 3
कार्य परिषद

धारा 20 (1) (घ) ( )

3.03क– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, उपाचार्यों/सह आचार्यों तथा प्राध्यापकों/सहायक आचार्यों, जिनका चयन चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए किया जायेगा, का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा–

(i) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य (स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में से एक तथा स्नातक महाविद्यालयों में से दो)

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों से एक उपाचार्य/सह आचार्य तथा

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालयों से एक प्राध्यापक/सहायक आचार्य।

3.04 राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के 3 प्राचार्य, एक उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) तथा एक प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) जो धारा 37 खण्ड (1) के अन्तर्गत कार्य परिषद के सदस्य होगें उनका चयन प्राचार्य, उपाचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) अथवा प्रवक्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर) के चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

धारा 20 (1) (ग ग)

3.03ख– अनसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के आचार्य अथवा उपाचार्यों/सह आचार्यों में से दो सदस्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आचार्यों अथवा उपाचार्यों/सह आचार्यों मे से दो सदस्य कुलपति द्वारा वरिष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से नामित किये जायेंगे

Scanned with CamScanner

अध्याय – 4

धारा 22 (1) (ix)

4.02(1) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा–22(1) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा :–

(i) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य,

(ii) विश्वविद्यालय दो उपाचार्य/सह–आचार्य,

(iii) विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक/सहायक आचार्य,

(iv) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष,

(v) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य (स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक तथा स्नातक महाविद्यालय के दो),

(vi) सम्बद्ध महाविद्यालय के दो उपाचार्य/सह आचार्य, तथा

(vii) सम्बद्ध महाविद्यालय के दो प्राध्यापक/सहायक आचार्य।

(2) उपर्युक्त आचार्यों, सह आचार्यों/उपाचार्यों और सहायक आचार्यों/प्राध्यापकों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो तथा अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, आचार्य, उपाचार्य/सह आचार्य या सहायक आचार्य/प्राध्यापक तथा प्राचार्य, सह आचार्य/उपाचार्य एवं सहायक आचार्य/प्राध्यापक के रूप में उनके ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा।

(3) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के दो प्रतिनिधि धारा–22(1) के खण्ड–(x) के अनुसार सभा के सदस्य होंगे जिनका नाम–निर्देशन दीर्घतम अवधि वाले महाविद्यालयों से प्रारम्भ करके एक वर्ष के लिए कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम प्रतिनिधित्व करने वाला प्रबन्ध तंत्र, सभा की किसी अधिवेश में अपने किसी सदस्य, जिसके अन्तर्गत सभापति/चेयरमैन, सचिव भी हैं को भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। किया जायेगा।

अध्याय–5

विद्या परिषद्

5.01 ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 25(2) के खण्ड–(VIII) के अधीन विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे, चयन एक वर्ष के लिए निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :–

(i) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार सह–आचार्य/उपाचार्य,

(ii) ज्येष्ठता–क्रम में चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के चार सहायक आचार्य/प्राध्यापक,

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालों के चार सह–आचार्य/उपाचार्य ज्येष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम में,

(iv) सम्बद्ध महाविद्यालों के तीन सहायक आचार्य/प्राध्यापक ज्येष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम में, तथा

Scanned with CamScanner

(v) धारा–25(2) के परन्तुक के अधीन विश्वविद्यालय के अनुसूचितजाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित आचार्यों/सह–आचार्यों (उपाचार्यों) में से दो सदस्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आचार्यों/सह आचार्यों (उपाचार्यों) में से दो सदस्य कुलपति द्वारा वरिष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से नामित।

अध्याय–7

संकाय

धारा 27 (1)

7.01 (घ) वाणिज्य एवं प्रबन्ध शास्त्र संकाय

(ङ) कृषि संकाय

धारा 44

7.01–क विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संस्थान होंगे, अर्थात्

(1) मदन मोहन मालवीय हिन्दी पत्रकारिता संस्थान।

(2) पर्यटन अध्ययन संस्थान।

धारा 27 (3)

7.02–(vi) सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जो उस विषय से सम्बन्धित है जो सम्बन्धित संकाय के अन्तर्गत आता है, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए।

(vii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो उपाचार्य/सह आचार्य तथा दो प्राध्यापक/सहायक आचार्य जो संकाय के अन्तर्गत आने वाले विषयों से सम्बन्धित हैं, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए।

(viii) कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो वाह्य विशेषज्ञ तीन वर्ष के लिए, जिसमें से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

धारा 27 (2)

7.03 (5) प्राचीन इतिहास

(6) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

(7) दर्शनशास्त्र

(8) पत्रकारिता एवं जनसंचार

(9) ललित कला

(10) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

(11) नव शिक्षा

(12) उर्दू विभाग

(13) मंचकला

(14) संगीत

धारा 27 (2)

7.04 (5) महिला अध्ययन

7.04 क (1) समाज कार्य विभाग।

(2) गांधी अध्ययन एवं विचार।

Scanned with CamScanner

7.04–ख वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) वाणिज्य
(2) प्रबन्ध शास्त्र

7.04–ग शिक्षा संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) शिक्षा
(2) शारीरिक शिक्षा एवं योग
(3) प्रौढ़, सतत् शिक्षा एवं प्रसार

7.04 (ड.)

(5) भौतिकी एवं व्यावहारिक भौतिकी
(6) रसायन विज्ञान
(7) वनस्पति विज्ञान
(8) जन्तु विज्ञान
(9) मुद्रण एवं प्रकाशन प्रौद्योगिकी
(10) हथकरघा विज्ञान
(11) गृह विज्ञान
(12) भू–भौतिकी एवं भू–भौमिकी
(13) जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव तकनीक
(14) पर्यावरण विज्ञान
(15) जैव–भौतिकी
(16) भूगोल
(17) उपयुक्त प्रौद्योगिकी
(18) जैव रसायन विज्ञान
(19) रक्षा अध्ययन विज्ञान
(20) आहार एवं पोषण
(21) सूक्ष्म जैविकी
(22) औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्य पालन
(23) औद्योगिक रसायन
(24) रेशम कीट संवर्धन

7.04 छ– कृषि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे :–

(1) कृषि वनस्पति विज्ञान
(2) कृषि रसायन विज्ञान
(3) कृषि प्राणि एवं कीट विज्ञान
(4) कृषि अर्थशास्त्र
(5) कृषि प्रसार
(6) औद्यानिकी
(7) वनस्पति रोग विज्ञान

Scanned with CamScanner

(8) पशुपालन और दुग्ध उद्योग
(9) भूमि संरक्षण
(10) कृषि इंजीनियरिंग
(11) शस्य विज्ञान
(12) आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन

अध्याय – 8
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी तथा निकाय
विभागीय समितियाँ

धारा 49

8.04 (v) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जो उस विभाग में अध्यापित विषय से सम्बन्धित है, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए।

(vi) सम्बद्ध महाविद्यालय के दो सह आचार्य/उपाचार्य तथा दो सहायक आचार्य/प्राध्यापक चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए।

परीक्षा समिति

धारा 29 तथा 49 (क)

8.07 (2) परीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–

(i) कुलपति	अध्यक्ष
(ii) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो	उपाध्यक्ष
(iii) संकायों के समस्त संकायाध्यक्ष	सदस्य
(iv) कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक, जो कार्यपरिषद का सदस्य न हो।	सदस्य
(v) विद्या परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक, जो विद्यापरिषद का सदस्य न हो।	सदस्य
(vi) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों का एक प्राचार्य जिसकी नियुक्ति स्थायी प्रकृति की हो, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए।	सदस्य
(vii) सम्बद्ध स्नातक महाविद्यालयों का एक प्राचार्य जिसकी नियुक्ति स्थायी प्रकृति की हो, चक्रानुक्रम से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए।	सदस्य
(viii) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, जिस विषय के सम्बन्ध में परीक्षा समिति विचार करने जा रही हो।	आमंत्रित सदस्य
(ix) कुलसचिव	सदस्य
(x) परीक्षा नियंत्रक	सदस्य–सचिव

Scanned with CamScanner

अध्ययन समिति

8.08– (1) अध्ययन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :–

(i) विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अध्ययन विभाग का विभागाध्यक्ष	संयोजक
(ii) संकाय का संकायाध्यक्ष	पदेन सदस्य
(iii) विभाग के समस्त आचार्य	सदस्य
(iv) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के दो सह आचार्य / उपाचार्य तथा दो सहायक आचार्य / प्राध्यापक (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	सदस्य
(v) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो विभाग के सम्बन्धित विषय से सम्बन्धित हो, (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	सदस्य
(vi) राजकीय एवं अनुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो सह आचार्य / उपाचार्य तथा दो सहायक आचार्य / प्राध्यापक (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)	सदस्य
(vii) सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य सदस्य, तीन शैक्षिक सत्रों हेतु (दो वाह्य सदस्यों में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी)।	

(2) समिति का मुख्य कार्य अपने विषय का पाठ्यक्रम बनाना, उनमें संशोधन की संस्तुति करना, परीक्षाओं के प्राश्निक और परीक्षकों की नामिका तैयार करना होगा।

(3) किसी परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पुस्तकों में सामान्यता तीन वर्ष से पूर्व परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(4) अध्ययन समिति की बैठक संयोजक बुलायेगा और उसकी कार्यवाही को लिपिबद्ध करके समबन्धित संकायाध्यक्ष को भेजेगा, परन्तु परीक्षकों की नामिका बैठक के तत्काल बाद लिफाफे में कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित की जाएगी।

स्पष्टीकरणः– विश्वविद्यालय परिसर में चल रहें विषयों / पाठ्यक्रमों के संयोजक विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे। जिन विषयों का पठन–पाठन परिसर में स्थायी रूप से अध्यापकों द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि विषय सम्बन्धित महाविद्यालयों में विनियमितीकरण के आधार पर स्थायी अध्यापकों द्वारा किया जाता है, उस विषय के संयोजक चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार एक वर्ष हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों के उपाचार्य / सह आचार्य, प्राध्यापक / सहायक आचार्य होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में अध्ययन समिति की बैठक सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में आहूत की जायेगी तथा आवश्यक अभिलेख आदि विश्वविद्यालय में रखे जायेंगे।

Scanned with CamScanner

शोध उपाधि समिति

8.09 – शोध उपाधि समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

(i) कुलपति – अध्यक्ष

(ii) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो. – उपाध्यक्ष

(iii) सकाय का संकायाध्यक्ष – पदेन सदस्य

(iv) विभाग का विभागाध्यक्ष – संयोजक सदस्य

(v) विभाग के समस्त आचार्य – सदस्य

(vi) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक उपाचार्य / सह आचार्य (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु) – सदस्य

(vii) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक प्राध्यापक / सहायक आचार्य (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु) – सदस्य

(viii) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो उस विषय से सम्बन्धित हो – सदस्य

(ix) सम्बद्ध महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का एक उपाचार्य / सह आचार्य– सदस्य (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु)

(x) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का एक प्राध्यापक / सहायक आचार्य, तथा (चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु) – सदस्य

(xi) कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य सदस्य, दो वर्ष हेतु

(2) बैठक में एक वाह्य विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

स्पष्टीकरण:– विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विषयों / पाठ्यक्रमों के संयोजक विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे। जिन विषयों का पठन–पाठन परिसर में स्थायी रूप से अध्यापकों द्वारा नहीं किया जा रहा है और वे विषय जिनमें सम्बन्धित महाविद्यालयों में विनियमितीकरण के आधार पर स्थायी अध्यापकों द्वारा किया जाता है, उस विषय का संयोजक चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों के सह आचार्य / सहायक आचार्य (उपाचार्य / प्राध्यापक) होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में अध्ययन समिति की बैठक सम्बन्धित संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में आहूत की जायेगी तथा आवश्यक अभिलेख आदि विश्वविद्यालय में रखे जायेंगे।

Scanned with CamScanner

धारा 28 (1) **प्रवेश समिति**

8.10-(1) प्रवेश समिति का गठन अधोलिखित प्रकार से होगा :-

(i) कुलपति	अध्यक्ष
(ii) प्रति कुलपति, यदि कोई हो,	उपाध्यक्ष
(iii) समस्त संकायाध्यक्ष	सदस्य
(iv) समस्त विभागाध्यक्ष	सदस्य
(v) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के दो उपाचार्य/सह आचार्य ज्येष्ठताक्रम से एक वर्ष के लिए	सदस्य
(vi) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के दो प्राध्यापक/सहायक आचार्य ज्येष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए	सदस्य
(vii) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग की एक महिला अध्यापक ज्येष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम मे एक वर्ष के लिए	सदस्य
(viii) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति का एक अध्यापक एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में	सदस्य
(ix) विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग के अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अध्यापक एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में	सदस्य
(x) मुख्य गृहपति	सदस्य
(xi) कुलानुशासक	सदस्य
(xii) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु	सदस्य
(xiii) सम्बद्ध स्नातक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु	सदस्य
(xiv) कुलसचिव	सचिव

(2) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति और दोनों की अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम आचार्य समिति की अध्यक्षता करेंगे।

समकक्षता समिति

धारा 51 (1)

8.11(1)- विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विभिन्न बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षा को पारस्परिकता के आधार पर मान्यता प्रदान करने हेतु एक समकक्षता समिति होगी जो अपनी संस्तुतियाँ विद्या परिषद् को प्रेषित करेगी। समकक्षता समिति का गठन अधोलिखित प्रकार से होगा -

(i) कुलपति	अध्यक्ष
(ii) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो,	उपाध्यक्ष

Scanned with CamScanner

(iii) विद्या परिषद् द्वारा नामित संकायाध्यक्ष एक वर्ष हेतु — सदस्य

(iv) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के एक स्थायी प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष कार्यकाल हेतु — सदस्य

(5) विचारणीय उपाधि से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, तथा — सदस्य

(6) कुलसचिव — सचिव

(2) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति कुलपति तथा दोनों की अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष समिति की अध्यक्षता करेंगे।

अध्याय – 9
परिषदें
क्रीड़ा परिषद

9.04 क्रीड़ा परिषद का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

(i) कुलपति	अध्यक्ष
(ii) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक आचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए,	उपाध्यक्ष
(iii) एक संकायाध्यक्ष चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए	सदस्य
(iv) सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग का प्रभारी	पदेन सदस्य
(v) सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष हेतु	सदस्य
(vi) स्नातक महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष हेतु	सदस्य
(vii) कुलपति द्वारा नामित शारीरिक शिक्षा विभाग की एक महिला अध्यापक चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए	सदस्य
(viii) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक–एक अध्यापक एक वर्ष के लिए	सदस्य
(ix) कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात खिलाड़ी एक वर्ष के लिए	सदस्य
(x) सम्बद्ध महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभाग का एक उपाचार्य/सह आचार्य तथा एक प्राध्यापक/सहायक आचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए	सदस्य
(xi) वित्त अधिकारी	सदस्य
(xii) कुलसचिव तथा	सदस्य
(xiii) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक अध्यापक एक वर्ष के लिए	सदस्य–सचिव

Scanned with CamScanner

नियोजन परिषद

9.05--(1) नियोजन परिषद् का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :-

(i) कुलपति	अध्यक्ष
(ii) प्रति कुलपति, यदि कोई हो,	उपाध्यक्ष
(iii) वित्त अधिकारी	सदस्य
(iv) विश्वविद्यालय का प्रभारी अभियन्ता	सदस्य
(v) प्रभारी यू0जी0सी0यूनिट	सदस्य
(vi) वरिष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम में संकायों का एक संकायाध्यक्ष एक वर्ष के लिए	सदस्य
(vii) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष हेतु	सदस्य
(viii) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग का एक आचार्य एक वर्ष के लिए	सदस्य
(ix) कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात शिक्षाविद् तीन वर्ष के लिए	सदस्य
(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक अध्यापक वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए, तथा	सदस्य
(xi) कुलसचिव	सदस्य-सचिव

(2) परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(i) विश्वविद्यालय के भावी विकास के लिए योजना तैयार करना।

(ii) विश्वविद्यालय के अकादमिक विकास की प्रक्रिया का निरूपण करना।

(iii) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर की नियमन सम्बन्धी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।

(iv) समय-समय पर कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत योजनाओं को कार्यान्वित करना।

(v) सक्षम प्राधिकारी के निर्देशन के अनुरूप अन्य योजनाओं को लागू करना।

अध्याय — 10
अध्यापकों का वर्गीकरण
भाग-1
अध्यापकों का वर्गीकरण

धारा 31 तथा 49 (घ)

10.01— विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :-

(1) आचार्य,
(2) उपाचार्य/सह आचार्य, और
(3) प्राध्यापक/सहायक आचार्य।

Scanned with CamScanner

अध्याय–12
उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

धारा –7 (6), 10 (2)तथा 49 (ज)

12.01(क) डाक्टर आफ लेटर्स(डी0लिट0) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा मानविकी, समाज विज्ञान, समाजकार्य अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(ख) डॉक्टर आफ साइंस (डी0एस–सी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान अथवा टेक्नोलॉजी की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

(ग) डाक्टर आफ लाज (एल–एल0डी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश अथवा विधिवेत्ता, राजनयज्ञ हों अथवा जिन्होंने लोक कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

अध्याय–12 क
सम्बद्ध महाविद्यालय

धारा 37

12क.01– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'च' में दी गयी है।

धारा 37 (2)

12क.02– किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह उस सत्र के जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता मांगी गई है, प्रारम्भ होने के कम से कम बारह मास पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाये :

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में कुलाधिपति, उच्च शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकते हैं जहाँ तक वह आवश्यक समझे।

12क.03– किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित के साथ दिया जायेगा–

(एक) ऐसी सम्बद्धता के लिए राज्य सरकार से प्राप्त निर्बाधन प्रमाण पत्र और

(दो) विश्वविद्यालय को देय दो हजार रुपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट जो वापस नहीं होगा।

टिप्पणी :– सम्बद्धता शुल्क समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

धारा 37 तथा 49 (ड.)

12क.04– कार्यपरिषद के समक्ष सम्बद्धता का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व कुलपति को निम्नलिखित ब्योरे के बारे में अपना समाधान अवश्य कर लेना चाहिए अर्थात –

(क) परिनियम 12क.05, 12क.06 और 12क.07 के उपबन्धों का पालन किया गया है,

(ख) संस्था उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करती है,

(ग) सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र ने निम्नलिखित की व्यवस्था की है या व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है :–

(एक) निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त भवन।

(दो) निर्धारित मानकों के अनुसार पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला की पर्याप्त सुविधायें,

(तीन) (1) विधि महाविद्यालय की स्थिति में विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1200वर्ग मीटर, पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम के लिए 1500 वर्ग मीटर तथा विधि त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय संयुक्त पाठ्यक्रमों के लिए 2000 वर्ग मीटर परस्पर सटी हुई भूमि।

(2) अन्य महाविद्यालय की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10000 वर्ग मीटर तथा शहरी क्षेत्र के लिए 5000 वर्ग मीटर (आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर) परस्पर सटी हुई भूमि :

परन्तु महिला महाविद्यालय की स्थिति में भूमि का मानक उक्त का 50 प्रतिशत होगा।

(3) महाविद्यालय में कृषि संकाय में शिक्षण कार्य संचालित होने की स्थिति में कृषि फार्म के रूप में 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि।

(चार) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधायें,

(पांच) न्यूनतम् तीन वर्ष के लिए महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान और,

(छः) प्रस्तावित महाविद्यालय का मूल निकाय–सोसायटी ट्रस्ट, स्थानीय निकाय आदि – रजिस्ट्रीकृत/अधिनियमित निकाय है।

धारा 37 तथा 49 (ड.)

12क.05– प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि –

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतंत्र का पदेन सदस्य होगा।

(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य (जिसमें प्राचार्य सम्मिलित नहीं है) अध्यापक होंगे और ज्येष्ठतानुक्रम से चक्रानुक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य होंगे।

(ग) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन ज्येष्ठतानुक्रम से चक्रानुक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(घ) खण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा–20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे और न तो कोई ऐसा सदस्य ही होगा जो धारा–39 के अधीन सदस्य होने के लिए अनर्ह हो। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिए कोई पद धारण नही करेगा।'

(ङ.) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्या या पदाधिकारी होने का हकदार है या नही या प्रबन्धतंत्र वैधरूप से गठित है या नही तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(छ) यदि कुलपति अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की वैधता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रबन्धतंत्र तत्समय वैध रूप से गठित नहीं था तो वह महाविद्यालय के कार्यकलापों की व्यवस्था और नियंत्रण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अग्रेतर कार्यवाही करेगा जब तक कि प्रबन्धतंत्र का वैध रूप से गठन न हो जाय, राज्य सरकार धारा–57/58 के अधीन कार्यवाही न करे या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय विधि के अधीन रिसीवर नियुक्त न करे तब तक के लिए प्रशासक नियुक्त करने को अग्रसर होंगे।

(ज) महाविद्यालय, कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनेल के समक्ष महाविद्यालय के आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल अभिलेखों को ऐसी सोसाइटी/न्यास/बोर्ड/मूल निकाय के लेखे जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिये तैयार है।

(झ) परिनियम–12क.06 निर्दिष्ट विन्यासित निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

धारा 39 तथा 49 (घ)

12क.06 (1)– प्रत्येक महाविद्यालय के लिये (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय न हो) निम्नलिखित मूल्य की एक पृथक् विन्यास निधि होगी जो कुलसचिव के पास गिरवी रखी जायेगी और तब तक अन्यत्र सर्वांमित नहीं की जायेगी, जब तक महाविद्यालय विद्यमान रहे :–

(एक) वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय एवं कला संकाय के 07 विषयों से अनधिक की सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.50 लाख रूपये,

Scanned with CamScanner

(दो) विधि (त्रिवर्षीय) तथा (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में क्रमशः 4.00 लाख तथा 6.00 लाख रूपये,

(तीन) कृषि संकाय के समस्त विषयों तथा विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषयों से अनधिक की सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 3.00 लाख रूपये,

(चार) बी0एस–सी0 (कम्प्यूटर साइंस), बी0एस–सी0 (सूचना प्रौद्योगिकी), बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 आदि पाठ्यक्रमों में प्रत्येक स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए 3.00 लाख रूपये,

(पांच) उपाधि स्तर पर अतिरिक्त विषयों के लिए प्रयोगात्मक कार्य वाले प्रत्येक विषय के लिए रूपये 55,000/– और किसी अन्य विषय के लिए रूपये 50,000/– की अग्रतर विन्यास निधि, तथा

(छः) स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय हेतु रू.75,000/–

(2) ऐसी विन्यास निधि को किसी अनुसूचित बैंक के सावधि निक्षेप लेखा में या ऐसी अन्य रीति से विनियोजित किया जायेगा जैसा विश्वविद्यालय निर्देश दे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.07– कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहता हो जिसमें प्रयोगशाला कार्य अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अग्रेतर समाधान करेगा :–

(क) विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिये पृथक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित हैं, और

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त संसाधन, उपकरण और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.08– यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमों के विषयों के सम्बन्ध में समाधान हो जाये, तथा महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाय तो आवेदन पत्र कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा, जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेंगी अथवा निर्णय करने हेतु कुलपति को अधिकृत करेगी। इस प्रकार नियुक्त पैनेल में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी पदेन सदस्य होंगे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.09– साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 4 मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य परिषद् द्वारा सम्बद्धता के लिये कोई आवेदन–पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि निरीक्षक पैनेल की रिपोर्ट पर मान्यता के लिए प्रस्तावित महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति तथा उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय।

Scanned with CamScanner

आवेदन-पत्र स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की कार्यवाही उस वर्ष के, जिसमें कक्षाएँ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, 15 मई के पूर्व पूरी हो जानी चाहिए।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड़.)

12क.10– जहाँ किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता प्रदान की जाये, वहाँ महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या उनका नामांकन/पंजीकरण नहीं करेगा जब तक कि कुलपति ने सम्यक रूप से निरीक्षण के पश्चात एक प्रमाण पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्तें सम्यक रूप से पूरी की ली गयी हैं। यदि महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति को व्यवहारिक कठिनाइयाँ हों तो वह सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिये किसी अर्ह व्यक्ति अथवा किन्हीं अर्ह व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.11– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नयी उपाधि के लिए अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह उस वर्ष के जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, पूर्ववर्ती वर्ष के 15 अगस्त के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय।

धारा 37 (2) तथा (ड.)

12क.12– प्रत्येक महाविद्यालय जो किसी नयी उपाधि के लिए या नये विषय में सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र दे, अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रत्यके विषय के लिये निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर भेजेगा जो वापस नहीं किया जायेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.13– किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलसचिव लिखित रूप से यह प्रमाण-पत्र न दे दे कि–

(एक) ऐसी सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र के साथ राज्य सरकार से निर्वाधन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है, और

(दो) सम्बद्धता और या पूर्व सम्बद्धता की शर्तें सम्पूर्णतः पूरी कर ली गयी हैं।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.14– यदि कुलपति का ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन-पत्र कार्य परिषद के समक्ष रखा जायेगा जो एक निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेगी तथा परिनियम 12क.08 के उपबन्ध लागू होंगे।

Scanned with CamScanner

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.15– साधारणतया, परिनियम 12क.14 में निर्दिष्ट सभी निरीक्षण अक्टूबर के अन्त तक पूरे कर लिये जायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद समय से निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा कर सके।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.16– नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र देने वाले सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम 12क.10 द्वारा आरोपित निर्बन्धन लागू होंगे।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.17– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.18– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अपने ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपस्कर और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.19– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ऐसी अर्हता के अध्यापक होंगे जिन्हें ऐसा वेतनमान अथवा नियत वेतन दिया जायेगा और जो सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो समय–समय पर अध्यादेशों में अथवा उस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों में निर्धारित की जायें :

परन्तु यह कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वेतन श्रेणी तथा अर्हताओ से सम्बन्धित कोई भी अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.20– जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तब प्रबन्धतन्त्र किसी अध्यापक को तीन मास की अवधि के लिये या जब तक किसी नियमित प्राचार्य की नियुक्ति न हो जाय, इनमें से जो भी पहले हो, प्राचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप मे कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है। यदि तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न किया जाय या ऐसा प्राचार्य अपना पद ग्रहण न करें तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में तब तक स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा जब तक कि कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न कर दिया जाये।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.21– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय परिनियम 12क.04 से 12क.7 मे दी गयी शर्तों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गयी अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा नही करता तो कुलपति परिनियम 12क.28 से 12क.32 के अनुसार सम्बद्धता वापस लेने के लिये कार्यवाही कर सकता है।

Scanned with CamScanner

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.22– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष 15 अगस्त तक प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि सम्बद्धता के लिये निर्धारित शर्तें पूरी होती जा रही है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.23– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित रजिस्टरों एवं लेखा अभिलेखों को रखेगा और समय–समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाय, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.24(1)– जहां कार्य परिषद् अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण कराये, वहाँ वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके सम्बन्ध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबन्धतंत्र को निर्देश दे सकता है।

(2)– जहाँ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्य परिषद् या कुलपति के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, वहाँ परिषद् या तो स्वप्रेरणा से या कुलपति से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और प्रबन्धतंत्र के लिए ऐसे निर्देशों का पालन बाध्यकारी होगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्य परिषद् परिनियम 12क.31 के अधीन अथवा उसके अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.25– महाविद्यालय के अध्यापकों के अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रिक्त पदों के रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव को सूचना दी जायेगी।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.26– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।

धारा 37 (2) तथा 49 (ड.)

12क.27– किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में कोई नया अनुभाग खोलने के पूर्व, अपेक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग, उनकी अर्हताएँ और वेतन, नये अनुभाग की अध्यापन सारिणी, उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।

Scanned with CamScanner

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.)

12क.28– किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का बराबर पालन किया जा रहा है।

धारा 37 (8)

12क.29– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी, यदि वह लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.)

12क.30– कार्य परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों को प्रवेश न करने का निर्देश दे सकती है, यदि कार्य परिषद् की राय में सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गयी हो। जब कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी कर दी जाये तब कार्य परिषद् की पूर्वानुज्ञा से कक्षायें पुनः प्रारम्भ की जा सकती हैं।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.)

12क.31– यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्य परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, तब तक के लिए मान्यता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्य परिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी न कर दी जाये।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.)

12क.32(1)– कार्य परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णतः अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है यदि वह कार्य परिषद् के निर्देशों का अनुपालन न करे अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा न करे या घोर कुप्रबन्ध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कार्य परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिए।

(2) यदि कर्मचारी वर्ग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय, अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो जिसके लिये वे परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता इस परिनियम के अर्थान्तर्गत वापस ली जा सकेगी।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड.)

12क.33– कार्य परिषद् पूर्ववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व किसी महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सम्बद्धता आदि की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

Scanned with CamScanner

धारा 49 (ढ)

12क.34– जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः जिसके कब्जे और नियंत्रण में है, इस अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्रयोजनार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धतंत्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है।

परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व कुलपति, विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण– इस बात का अवधारण करने के लिये कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः जिसके कब्जे तथा नियंत्रण में है, कुलपति संस्था की निधियों और उसके वास्तविक प्रशासन पर संस्थान की सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियंत्रण तथा ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को जिनका अवधारणार्थ प्रश्न के लिये महत्व हो, ध्यान में रखेगा।

वित्त, संपरीक्षा तथा लेखा

धारा 49

12क.35(1)– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा।

(दो) प्रबन्धतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य।

(तीन) प्राचार्य (पदेन)।

(चार) प्रबन्धतंत्र का ज्येष्ठतम् अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(2) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का पदेन सचिव होगा और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

धारा 49

12क.36– वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक वजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जो प्रबन्धतंत्र के समक्ष विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायेगा।

धारा 49

12क.37– ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के वजट में पहले से ही सम्मिलित न हो, वित्त समिति को निर्दिष्ट किये विना नहीं किया जायेगा।

धारा 49

12क.38– वजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियंत्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो वित्त समिति द्वारा दिये जाये, प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

धारा 49

12क.39– सभी छात्र निधियाँ, विभिन्न समितियों, जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति आदि जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, की सहायता से प्राचार्य द्वारा प्रशासित होंगी।

Scanned with CamScanner

धारा 49

12क.40– छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा, जो इसके सदस्यों में से न हो, की जायेगी। संपरीक्षण फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधिसंगत प्रभार होगी। संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखी जायेगी।

धारा 49

12क.41– छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में अन्तरित नहीं की जायेगी और इन निधियों से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं लिया जायेगा।

अध्याय–14क

भाग–1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा शर्तें

धारा 49 (ण)

14क.01 (1)– इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे।

धारा 49 (ण)

14क.02– किसी अध्यापक को दस मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर, सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति, परिशिष्ट "ख" में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

धारा 49 (ण)

14क.03 (1)– सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट "ग" में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा, जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

(2) परिशिष्ट "ग" में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 14क.04 के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

धारा 49 (ण)

14क.04 (1)– सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचार्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं :–

(क) कर्तव्य की जान बूझकर उपेक्षा,
(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है,
(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन,
(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी,
(ड.) विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यो की अवहेलना।
(च) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होना,

Scanned with CamScanner

(छ) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,
(ज) अक्षमता,
(झ) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्ध के कारण पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के संविदा समाप्त करने के लिये किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात दी जाय तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने की नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायेगी, या ऐसी नोटिस के बदले में तीन मास (या उपर्युक्त दीर्घावधि) का वेतन दिया जायेगा :

परन्तु प्रबन्धतंत्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा संविदा की शर्तों में से किसी का उलंघन किये जाने के कारण, उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त को अधित्यजित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी।

धारा 49 (ण)

14क.05— किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये विश्वविद्यालय के पास जमा की जायेगी।

धारा 49 (ण)

14क.06 (1)— परिनियम 14क.04 के खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक के विरूद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक को न दे दिया जाय और उसे—

(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,
(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह ऐसा चाहे, और
(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों के बुलाने और उनका प्रति–परीक्षण करने के लिये, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाये :

Scanned with CamScanner

परन्तु प्रबन्धतंत्र, या उसके द्वारा जांच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) प्रबन्धतंत्र किसी समय, साधारणतया जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है, जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी और अनुमोदन के लिये कुलपति को उसकी रिपोर्ट की जायेगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगा जब तक की कुलपति उसका अनुमोदन न कर दें।

(4) प्रबन्धतंत्र अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, अर्थात–

(एक) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन कम करना।

(दो) तीन वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकना।

(तीन) उसकी निलम्बन की अवधि के दौरान, यदि कोई हो, निवार्ह भत्ता छोड़कर वेतन से वंचित करना।

ऐसा दण्ड देने के प्रबन्धतंत्र के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायेगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा, जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाये।

धारा 49 (ण)

14क.07– यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो, तो प्रबन्धतंत्र उसको परिनियम 14क.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिये शक्ति सम्पन्न होगा। किसी आपातस्थिति में (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतंत्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतंत्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जांच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जांच कराये जाने का विचार था।

धारा 49 (ण)

14क.08– परिनियम 14क.04 के खण्ड(2) और परिनियम 14क.07 के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, ऐसी कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश विद्यमान हो, सम्मिलित नही की जायेगी।

Scanned with CamScanner

धारा 49

14क.09– सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में धारा 34 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने वेतन के छठें भाग या चालीस हजार रूपये, जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

14क.10– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी–

(i) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधिपर्यन्त महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद धारण नहीं करेगा,

(ii) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचन या नाम–निर्दिष्ट किया जाये, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 14क.11 द्वारा उपबन्धित होने के सिवाय किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिये महाविद्यालय से त्याग–पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्रधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक का पद नहीं समझा जायेगा।

14क.11– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा, जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये, महाविद्यालय में उपलब्ध होगा.

परन्तु जहां महाविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो वहाँ उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा जो उसे देय हो, और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

भाग – 2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49

14क.12– विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी अध्याय–14, भाग–2 के उपबन्ध सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानो शब्द "कार्य परिषद" और "कुलपति" के स्थान पर क्रमश: शब्द "प्रबन्धतंत्र" और "प्राचार्य" रखे गये हो।

Scanned with CamScanner

भाग–3

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49

14क.13– विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता से सम्बन्धित अध्याय–14, भाग–3 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित सम्बद्ध महाविद्यालयों (राजकीय महाविद्यालयों को छोड़कर) के अध्यापकों पर लागू होंगे। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु शासकीय नियमों से नियंत्रित होगी।

भाग–4

अन्य उपबन्ध

धारा 32 और 49

14क.14– सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतंत्र के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट "ख" की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायेगी।

धारा 49

14क.15– परिनियम 14क.4 में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया या हटाया गया या सेवा समाप्त सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

धारा 49(ण)

14क.16– परिनियम 14.07, 14.29 से 14.31 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक पर निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होंगे, अर्थात्–

(क) परिनियम 14.07 में शब्द "कुलपति" और "कार्य परिषद" के स्थान पर क्रमशः शब्द "प्राचार्य" और "प्रबंधतंत्र" रखा हुआ समझा जायेगा।

(ख) परिनियम 14.29 में, शब्द "कुलपति" और "विभागाध्यक्ष" के स्थान पर क्रमशः "प्राचार्य" और "विभाग का ज्येष्ठतम प्राध्यापक" रखा हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–15

भाग–1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

भाग–2

धारा 49 (घ)

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

15.10– सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो और अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमो का पालन किया जायेगा :–

(क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

Scanned with CamScanner

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से अनवरत सेवा काल के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक हैसियत से (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गयी सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार की जायेगी।

(ङ.) किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, चाहे वह इस विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त हो, किसी प्राचार्य या किसी अध्यापक द्वारा मौलिक रूप में की गयी सेवा को उसके सेवा काल में सम्मिलित किया जायेगा।

10.11– जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, प्राचार्य के रूप में किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ केवल प्राचार्य के रूप में की गयी उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

10.12– जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में अध्यापक के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी प्राचार्य की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ उसकी दोनों – प्राचार्य और अध्यापक– के रूप में उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिया जायेगा।

10.13– जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किए जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में अवधारित की जायेगी–

(1) प्राचार्यों की स्थिति में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा।

(2) प्राध्यापकों/सहायक आचार्यों की स्थिति में आयु की ज्येष्ठता का विचार किया जायेगा।

10.14 **(1)** जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किये जायें तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता क्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी, अवधारित की जायेगी।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) के अधीन अवधारित की गयी हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

10.15– अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे, जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति

Scanned with CamScanner

को अपील कर सकता है। यदि कुलपति, प्राचार्य से सहमत न हो, तो वह ऐसी असहमति का कारण उल्लिखित करेगा।

15.16– सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

15.17– परिनियम 15.01, 15.02, 15.05 और 15.06 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों और प्राचार्यों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होते हैं।

भाग–3

स्वायत्त महाविद्यालय

15.18– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशाधीन, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र, जो स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, निम्नलिखित बातों को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन–पत्र देगा :–

(क) विश्वविद्यालय द्वारा विहित शिक्षा पाठ्यक्रम में या उससे प्रस्तावित परिवर्तन जिसके अन्तर्गत ऐसे विषय में, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था न की गई हो, पाठ्यक्रम का प्रतिस्थापन भी है,

(ख) वह रीति जिसके अनुसार महाविद्यालय का इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षायें लेने का प्रस्ताव है,

(ग) अपने वित्त तथा आस्तियों के ब्योरे, अपने अध्यापक वर्ग की संख्या तथा अर्हतायें, उच्च अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध सुविधायें तथा किये गये उच्च अनुसंधान कार्य, यदि कोई हो।

धारा 42

15.19– परिनियम 15.18 के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करे :–

(क) उसमें कम से कम दो संकायों में स्नातकोत्तर स्तर तक कम से कम छः विषयों में शिक्षण देने के लिए सुस्थापित अध्यापन विभाग हैं,

(ख) उसमें पर्याप्त तथा उत्तम अर्हतासम्पन्न अध्यापक वर्ग है या होने की सम्भावना है,

(ग) उसका प्राचार्य असाधारण योग्यता का अध्यापक अथवा विद्वान है तथा उसे प्रशासनिक अनुभव है,

Scanned with CamScanner

(घ) उसके पास समस्त शैक्षणिक प्रयोजनों तथा पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं के निमित्त पर्याप्त तथा संतोषजनक भवन है और भविष्य है और भविष्य में उसके प्रसार के लिए भूमि है,

(ङ) उसके पास एक अच्छा पुस्तकालय है और उसके नियमित विकास के लिये व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(च) उसके पास उसमें पढाने जाने वाले विषयों के निमित्त, यदि आवश्यक हो, सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं और उसमें नवीन उपलब्धियों तथा उनके प्रतिस्थापनार्थ पर्याप्त व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(छ) महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय की स्थिति प्राप्त करने में अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये प्रबन्धतंत्र के पास पर्याप्त संसाधन हैं।

धारा 42

15.20– परिनियम 15.18 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को देय रू.5000/– की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न होगा, जो लौटाया नहीं जायेगा।

धारा 42

15.21 (1)– परिनियम 15.18 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र संवीक्षार्थ प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष – (संयोजक)

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किन्ही दो विश्वविद्यालयों से कार्य परिषद् द्वारा चयन किये गये तत्स्थानी प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिधि।

(3) यदि समिति की रिपोर्ट पक्ष में हो तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरिक्षण करने तथा उसे स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किये जाने की उपयुक्तता पर रिर्पोट देने के लिये (छः सदस्यों से अनधिक का) एक निरिक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(4) निरीक्षक बोर्ड में संयोजक के रूप में कुलपति तथा सदस्यों के रूप में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा और विषयों के ऐसे अन्य विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें परिषद् नियुक्त करना समीचीन समझे।

धारा 42

15.22– निरीक्षक बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड तथा विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

धारा 42

15.23 (1)– निरीक्षक बोर्ड की सिफारिश और परिनियम 15.22 में निर्दिष्ट दो निकायों की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि कार्य परिषद की राय हो कि महाविद्यालय धारा–42 में उल्लिखित विशेषाधिकारो का हकदार है तो वह अपना प्रस्ताव कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

Scanned with CamScanner

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रस्ताव और अन्य सम्बद्ध पत्रादि प्राप्त होने पर और ऐसी जाँच, जिसे कुलाधिपति आवश्यक समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकते हैं या उसे अस्वीकृत कर सकते है

परन्तु किसी ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पूर्व कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श किया जायेगा।

धारा 42

15.24 परिनियम 15.23 के अधीन कुलाधिपति द्वारा कार्य परिषद् की सिफारिश का अनुमोदन कर देने के पश्चात् कार्य परिषद् पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए जिसे आगे बढ़ाया जा सकेगा, महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय घोषित करेगी और ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके सम्बन्ध में तथा जिस सीमा तक महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

धारा 42

15.25 (1) - धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वायत्त महाविद्यालय निम्नलिखित का हकदार होगा–

(क) अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत आने वाले विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करना,

(ख) ऐसे विषयों में आन्तरिक या बाह्य परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हता सम्पन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करना, और

(ग) परीक्षायें आयोजित करना और परीक्षा तथा अध्यापन कार्य की विधि में ऐसे परिवर्तन करना, जो शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में सहायक हों।

(2) सम्बद्ध निकाय–बोर्ड, विद्या–परिषद् और परीक्षा समिति खण्ड (1) के अधीन स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही पर विचार कर सकती है और किसी परिवर्तन का, यदि आवश्यक हो, निर्देश दे सकती है।

धारा 42

15.26 (1)– स्वायत्त महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जायेगा जो उस महाविद्याल का नाम उल्लिखित करेगा, जिसने घोषणा और प्रकाशन के लिये परीक्षाफल प्रस्तुत किया हो।

(2) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना देगा जिसकी कार्य परिषद महाविद्यालय की दक्षता का अनुमान लगाने के लिए समय–समय पर अपेक्षा करे।

(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय का पर्यवेक्षण करता रहेगा और महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करता रहेगा जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करें।

धारा 42

15.27 कार्य परिषद किसी भी समय निरीक्षक बोर्ड द्वारा किसी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करा सकती है, और यदि ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् उसकी यह राय हो कि महाविद्यालय अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या अपेक्षित संसाधनों से सम्पन्न होने में असफल रहा है और शिक्षा के हित में धा

42 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को वापस लेना आवश्यक है तो कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, ऐसे विशेषाधिकारों को वापस ले सकती है और तदुपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय की स्थिति में परिवर्तित हो जायेगा।

धारा 42

17.28 (क)– अपने कार्य के सुनियोजन तथा संचालन के लिए प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय की एक विद्या परिषद् और प्रत्येक संकाय में समाविष्ट विषयों के सम्बन्ध में एक संकाय बोर्ड होगा।

(ख) विद्या परिषद् में समस्त विभागाध्यक्ष पदेन और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पढाये जाने वाले प्रत्येक विषय के दो अन्य अध्यापक तथा प्रथम उपाधि के लिए पढाये जाने वाले प्रत्येक विषय के एक अध्यापक होंगे, जिनका अध्यक्ष प्राचार्य होगा। अध्यापक एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से परिषद के सदस्य होंगे, परन्तु चार वर्ष से कम की अवस्थिति का कोई भी अध्यापक सदस्य न होगा।

(ग) विद्या परिषद् तिमाही अधिवेशनों में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्य का पुनर्विलोकन करेगी और पाठ्यक्रम परीक्षा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा किये गये समस्त प्रस्ताव उक्त परिषद् के माध्यम से पारित होंगे।

(घ) संकाय के बोर्ड में, संकाय में समाविष्ट विषयों के ऐसे सभी अध्यापक होंगे जिनकी उपाधि कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष की अवस्थिति हो। शैक्षिक मामलों पर विचार करने के लिए संकाय बोर्ड का अधिवेशन नियमित अन्तरालों पर (यदि संभव हो मास में एक बार) होगा। इन संकाय के बोर्डों में पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो व्युत्पन्न होंगे अथवा उन पर विचार किया जायेगा। संकाय बोर्डों के समस्त प्रस्ताव विद्यापरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाएंगे।

धारा 42

17.29– धारा 42 की उपधारा (2) और इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि अध्यादेशों में निर्धारित की जाय।

अध्याय – 18

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हतायें व सेवा सम्बन्धी शर्तें

धारा 49 (ण)

18.01– जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में, उत्तरवर्ती परिनियमों में परिभाषित पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा –

(1) "समूह घ का पद" का तात्पर्य नैत्यिक लिपिक के वेतनमान से कम वेतनमान के पद से है और "समूह घ के कर्मचारी वर्ग" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(2) "महाविद्यालय" का तात्पर्य अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय से है, किन्तु इसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

Scanned with CamScanner

(3) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के वेतन भोगी कर्मचारी, जो अध्यापक न हो, से है और इसके व्याकरणिक रूप भेद तथा सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(4) "संघ की सशस्त्र सेना" का तात्पर्य संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना से है।

(5) "अंगहीन भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे भूतपूर्व सैनिक से है जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में अंगहीन हुआ हो।

(6) "भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में चाहे योद्धक के रूप में या अनायोद्धक के रूप में कम से कम छः मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो, और जिसे–

(एक) दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो, या

(दो) इस प्रकार निर्मुक्त किये जाने या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए छः मास से अनधिक सेवा करनी पड़ी हो।

धारा 49 (ण)

18.02 (1)– इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समूह–ग के पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जायेगी और समूह–घ के कर्मचारियों के पदों पर प्राचार्य द्वारा की जायेगी। समूह–ग एवं घ में किसी पद पर नियुक्ति के लिए रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के कम से कम दो अंकों में विज्ञापित की जायेगी, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी को उस वर्ग के कर्मचारीयों के विरुद्ध जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्यवाही करने और दण्ड देने की शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी के प्रत्येक विनिश्चय की सूचना कर्मचारी को संसूचित किये जाने के पूर्व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को दी जायेगी और वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा उसका अनुमोदन लिखित रूप में न कर दिया जाये :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात उस अवधि के, जब तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा समाप्त करने पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर, जिसमें जांच विचाराधीन हो, लागू नही होगी, किन्तु ऐसा कोई आदेश क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(4) खण्ड (3) के अधीन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश को की जायेगी।

धारा 49 (ग)

18.03 (1)– औपधकारक, लिपिक या खण्ड (2) या खण्ड (3) में उल्लिखित पदों से भिन्न नैत्यिक लिपिक के वेतनमान में या उससे उच्चतर वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति दो समाचार पत्रों के दो अंकों में रिक्ति का विज्ञापन करने के पश्चात् खण्ड (6) में उपबन्धित रीति से चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

(2) सहायक के पद पर नियुक्ति, नैत्यिक लिपिक में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(3) मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और वर्सर पद पर नियुक्ति अपेक्षित अर्हत रखने वाले वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी। वर्तमान कर्मचारी वर्ग में से अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और बर्सर के पदों पर नियुक्ति समाचार पत्रों में रिक्ति को विज्ञापित करने के पश्चात् चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जा सकेगी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से की जायेगी। यदि अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन न करने की सूचना न दे या ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना न भेजे तो यह समझा जायेगा कि अनुमोदन प्राधिकारी ने नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

(5) स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी का कार्य सन्तोषजनक न पाया गया तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है, परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न होगी। परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य नहीं होगी।

(6) (क) खण्ड (1) या (3) में निर्दिष्ट शेष सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये चयन समिति निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य जो अध्यक्ष होगा

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(तीन) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजकीय उपा महाविद्यालय के प्राचार्य से अन्यून कोई अधिकारी।

(चार) जिला सेवा योजन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।

Scanned with CamScanner

(ख) परिनियम 18.02 एवं 18.03 में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ, रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों के दो अंकों में विज्ञापित की जायेगी, जिनका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो। साथ ही अर्ह अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध जिला सेवायोजन अधिकारी से भी प्राप्त किये जायेंगे।

(ग) कोई कर्मचारी 'वेतन भुगतान लेखा' से वेतन भुगतान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा–60–क के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) द्वारा अनुध्यात अनुज्ञा न दी गयी हो।

(घ) यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो वह मामले को अपनी असहमति के कारणों सहित अनुमोदन प्राधिकारी को सन्दर्भित करेगा, जिस पर उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

आरक्षण

धारा 49 (ण)

18.04 (1)– परिनियम 18.06 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यथियों के लिए आरक्षण "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग कें लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994)" के उपबन्धों के अनुसार या किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

धारा 49 (ण)

18.05– महाविद्यालय में नियोजन के लिए अभ्यर्थी का–

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया जिसका पहले तांगानिका और जंजीवार नाम था, के पूर्वी अफ्रीका देशों से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है :

परन्तु समूह– (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि समूह– (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

शैक्षिक अर्हतायें

धारा 49 (ण)

18.06– किसी महाविद्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित है–

Scanned with CamScanner

(एक) **लिपिक वर्ग** – नैत्यिक लिपिक, सहायक, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक पद के लिये इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा

परन्तु मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किसी स्नातकोत्तर या उपाधि या इण्टरमीडिएट कालेज में नैत्यिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव हो।

(दो) **प्रयोगशाला सहायक** – उन विषयों में जिनमें प्रयोगशाला का सम्बन्ध हो, इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अथवा हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा के साथ सम्बद्ध विषय की प्रयोगशाला में प्रयोगशाला वियरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(तीन) **कार्यालय अधीक्षक** – विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में मुख्य लिपिक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव।

(चार) **सहायक लेखाकार** – विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की लेखाशास्त्र/लेखा संपरीक्षा के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

(पांच) **बर्सर** – विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और किसी उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार के रूप में कार्य करने को कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

(छः) **समूह–घ के कर्मचारी** – मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा आठ उत्तीर्ण :

परन्तु सफाईकार के पद के लिए कोई शैक्षिक अर्हता अपेक्षित न होगी, बल्कि उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी, जो शिक्षित हो या कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ हो,

परन्तु यह और कि समूह–घ की सेवाओं और पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शैक्षिक अर्हता ऐसी सेवाओं और पदों में आरक्षित रिक्तियों में उपयुक्त पाये जाने पर अपेक्षित न होगी।

(सात) **अन्य पद**– किसी अन्य पद के लिये जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों ऐसी न्यूनतम अर्हता, जैसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

18.07 (1)– किसी महाविद्यालय में सीधी भर्ती द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा परिनियम 18.03 के खण्ड (1) और खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य पद के लिए 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की स्थिति में सरकारी सेवा की भांति छूट अनुमन्य होगी :

परन्तु शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा की अनुमति से ऊपर निर्दिष्ट 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की शर्त को विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है :

Scanned with CamScanner

परन्तु यह और कि परिनियम 18.06 के खण्ड (तीन) एवं (पांच) में निर्दिष्ट कर्मचारी पर अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

परन्तु यह भी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु उतनी अधिक होगी जितनी अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र सेना में की गयी सेवा की अवधि में तीन वर्ष और जोड़कर हो।

(2) जिस वर्ष भर्ती की जाये, उस वर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक को आयु खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ आयु होगी।

(3) समूह–घ के किसी ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जिसने तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा की हो और जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले नैत्यिक लिपिक के पद या उसके समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हता रखता हो, अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है।

चरित्र

18.08 (1)– नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि सीधी भर्ती द्वारा नियोजन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह महाविद्यालय में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

(2) संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

शारीरिक स्वस्थता

18.09– कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

वेतनमान और भत्ते

18.10– कर्मचारी को वही वेतनमान और भत्ता दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

स्पष्टीकरण– भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति में नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक केवल संघ की सशस्त्र सेना में अपनी पिछली सेवा के कारण कोई उच्च वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

आचरण तथा अन्य विषय

18.11 (1)– प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के सम्बन्ध में उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रबन्धतंत्र और प्राचार्य के आदेशों या निर्देशों का, जिसमें राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के आदेशों के कार्यान्वयन में जारी किये गये आदेश या निर्देश भी सम्मिलित अनुपालन करेगा।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र पंजी रखेगा, जिसमें उसके कार्य और आचरण सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट, प्रतिवर्ष लिखी जायेगी। सम्बद्ध कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना यथाशीघ्र दी जायेगी, जिससे कि वह अपना कार्य और आचरण तदनुसार सुधार सके।

(4) प्रतिकूल प्रविष्टि से व्यथित कोई कर्मचारी 60 दिन के अन्दर प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने के लिए प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय के प्रबंधक को अभ्यावेदन कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्टि का निष्कासन की शक्ति सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति में निहित होगी।

(5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जायेगी।

अनुशासनिक कार्यवाही

धारा 49 (ण)

18.12– कोई कर्मचारी जो परिनियम 18.11 के खण्ड (1) और खण्ड (2) में से किसी एक या दोनों उपबन्धों का पालन नहीं करता है, अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

सेवा की समाप्ति और पद त्याग

धारा 49 (ण)

18.13 (1)– किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा, अर्थात्

(क) कर्तव्यों की घोर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण,

(ग) अनधीनता या अवज्ञा,

(घ) कर्तव्यों के पालन में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता,

(ङ) राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के विरूद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्यकलाप,

(च) नैतिक पतन के सम्बन्धित आरोप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि।

(2) यदि कोई अस्थायी कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को दिन पहले इस आशय की लिखित नोटिस देगा अन्यथा उसे नोटिस के बदले मे एक मास का वेतन महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। उसी प्रकार यदि महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करता है, तो प्रबंधतंत्र कर्मचारी को एक मास की नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन देगा।

Scanned with CamScanner

(3) किसी स्थायी कर्मचारी को सेवा से, पद समाप्त किये जाने के आधार पर, उसे तीन मास की लिखि नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् मुक्त किया जा सकता है। किसी प को निम्नलिखित किसी आधार पर समाप्त किया जा सकता है--

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण छटनी,

(ख) छात्रों की भर्ती में कमी और

(ग) उस विषय में जिसमें पद सम्बन्धित हो, अध्यापन कार्य का बन्द किया जाना।

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49 (ण)

18.14– किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।

छुट्टी

धारा 49 (ण)

18.15 (1)– समान स्तर के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य छुट्टी संबंधी नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कर्मचारी प लागू होंगे।

(2) प्राचार्य को समूह–घ कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश तथा अन्य कर्मचारियों के आकस्मिक अवका: स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(3) समूह–घ कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी के लिए कर्मचारी के आवेद पत्र को प्राचार्य अपनी सिफारिश के साथ महाविद्यालय के प्रवंधक को भेजेगा, जिसे छुट्टी स्वीकृत कर का प्राधिकार होगा।

(4) छुट्टी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा रखे जायेंगे जो (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) छुट्ट स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रतियाँ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी या उस प्राधिकारी को, जो उस द्वारा कर्मचारी के वेतन का संवितरण करने के लिए प्राधिकृत हो, भेजेगा। प्राचार्य वेतन बिल में छुट्ट की अवधि और उसका प्रकार भी उल्लिखित करेगा।

प्रकीर्ण

धारा 49 (ण)

18.16– राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान पाने वाले किसी एक महाविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी, जो फिर दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त किया जाय, नियमित चयन के पश्चात, उस वेतन से जो वह उस महाविद्याल में पा रहा था, जिसमें वह पहले कार्य कर रहा था, कम वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। यदि कर्मचारी (क) पूर्ववर्ती महाविद्यालय में अपने पद पर स्थायी था और ऐसा महाविद्यालय सहायक अनुदान सूची में था,

Scanned with CamScanner

(ख) नये महाविद्यालय में सेवा के लिए पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धक की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उसे अवमुक्त करने में कोई आपत्ति न हो

(ग) पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसी कोई असामान्य और प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, जिसमें कर्मचारी ने उस विद्यालय को छोड़ा, और

(घ) पूर्ववर्ती महाविद्यालय से अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे जो सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो।

स्पष्टीकरण– (1) नये महाविद्यालय में नियुक्ति किये जाने पर, पूर्ववर्ती महाविद्यालय में की गई सेवा की गणना ज्येष्ठता के लिए नहीं की जायेगी। नये महाविद्यालय में ज्येष्ठता की गणना नये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उस महाविद्यालय में एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात अनुमन्य होगी।

(2) कर्मचारी नये महाविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा, परन्तु उसे निम्नलिखित दरों पर यात्रा अवधि अनुमन्य होगी :–

(क) रेल यात्रा से सम्बन्धित स्थानों के लिए प्रति 500 किलोमीटर पर एक दिन।

(ख) उन स्थानों के लिए जो रेल से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु बस से सम्बद्ध है, प्रति 150 किलोमीटर पर एक दिन।

(ग) उन स्थानों के लिए जो न तो रेल से सम्बद्ध है और न बस से सम्बद्ध है, प्रति 25 किलोमीटर पर एक दिन।

महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन

धारा 39 (2)

18.17– यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी अस्थायी पद पर हो, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो महाविद्यालय में कि शिक्षणेत्तर पद के लिए आवेदन पत्र देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, प्रबं द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा के पूर्वानुमोदन से चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल क नियुक्त किया जा सकता है।

परन्तु यदि कोई रिक्ति न हो, तो अधिसंख्य पद के विरूद्ध तत्काल नियुक्ति कर दी जायेगी जो प्रयोजनार्थ सृजित किया गया समझा जायेगा और वह जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी, जारी रहे

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए–

(1) "आश्रित" का तात्पर्य मृतक के पुत्र, उसकी अविवाहित या विधवा पुत्री, उसकी विधवा या उसके वि है,

(2) "कर्मचारी" के अन्तर्गत संस्था में नियोजित अध्यापक भी है।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–ख
(परिनियम 14.01, 14क.02 तथा 14क.14 देखिये)
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का पत्र

यह करार आज दिनांक–..20...... को

श्री / श्रीमती / कुमारी / डॉ0..–प्रथम पक्ष

तथा

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है) – द्वितीय पक्ष

प्रबन्धक,.. महाविद्यालय – द्वितीय पक्ष

के मध्य किया गया।

एतद् द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :–

1– विश्वविद्यालय / महाविद्यालय एतदद्वारा प्रथम पक्ष के पक्षकार श्री / श्रीमती / कुमारी / डॉ0 .... को दिनांक–................................... से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार, जिसे आगे अध्यापक कहा गया है अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और अध्यापक एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के ऐ कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पलान करने का वचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जा जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण शिक्षण व संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण, अनुशासन बनाये रखना और कि पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्यकलाप के सम्बन्ध में छात्र–कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के दे अन्य पाठ्यचर्या के अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायें, तथा ऐसे अधिकारि की अधीनता स्वीकार करता / करती है, जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा तत्स रख जाय और विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा समय समय पर उसे संशोधित किया जय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा :

परन्तु अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद् / प्र समिति स्वविवेकानुसार परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2– अध्यापक विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3– अध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान रूपये.. .... होगा। अध्यापक को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उ वेतनमान में .... रूपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा और वह, तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतन–वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रका वेतन प्राप्त करेगा :

Scanned with CamScanner

4– अध्यापक, विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5– अध्यापक, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6– किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर अध्यापक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की समस्त पुस्तकें, उपकरण, अभिलेख और अन्य वस्तुएँ, जो उसके कब्जे में हो, विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को वापस कर देगा।

7– समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा, जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

उक्त कथन के साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....
अध्यापक के हस्ताक्षर

....
विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने
वाले वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर
अथवा
प्रबन्धक के हस्ताक्षर

साक्षी

1– ....

2– ....

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–ग

(परिनियम 14.02, 14.27 और 14क.03 देखिये)

अध्यापकों के लिए आचरण संहिता

यतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र–निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक है, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओतप्रोत रह कर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है :

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाये :–

1– प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता से करेगा।

2– कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा, न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3– कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरूद्ध या अपने साथी या विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विरूद्ध उत्तेजित नहीं करेगा।

4– कोई भी अध्यापक जाति, मत पंथ, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेद–भाव नही करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इनकार नहीं करेगा।

6– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

7– कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार, अंशकालिक गृह शिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षाएं नही चलायेगा।

8– सभी अध्यापक कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी परिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

9– शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक, जहाँ तक सम्भव हो, अपरिहार्य परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश लेगा और मुख्यालय छोड़ेगा।

10– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

Scanned with CamScanner

11– विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षा संचालन, निरीक्षण परिप्रेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

12– प्रत्येक अध्यापक लोकतंत्र, देशभक्ति और शान्ति के उपदेशों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शारीरिक श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करेगा और 15 अगस्त, 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर स्वदेशी की भावना को जाग्रत करने हेतु यथासंभव खादी वस्त्रों का प्रयोग करेगा और छात्रों एवं छात्राओं को भी प्रेरित करेगा।

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–घ
प्रपत्र
(परिनियम 14.29 देखिये)

शैक्षिक सत्र .... की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

1. अध्यापक का नाम ....
2. विभाग, जिससे वह सम्बद्ध हो..
3. पदनाम...
4. सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हतायें या विशिष्टतायें, यदि कोई हों...
5. अध्यापक की प्रकाशित रचनाएँ या उसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य और/या किसी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि के विवरण ....
....
6. सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्यरत अनुसंधान छात्रों की संख्या...
उनमें से कितनों को शोध उपाधि प्रदान की गयी ....
....
7. सत्र के दौरान विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय में दिये गये व्याख्यानों (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या ....
8. अभ्युक्ति ....

मैं, डॉ0/श्री/श्रीमती.. एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुयें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनांक..

अध्यापक का हस्ताक्षर
पदनाम–

<u>प्रतिहस्ताक्षरित</u>

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"च"

सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची

जनपद – वाराणसी

1. डॉ. राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, भैरव तालाब, वाराणसी
2. महाराज बलवन्त सिंह महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी
3. सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी
4. जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगतपुर, वाराणसी
5. कालिकाधाम महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी
6. हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी
7. श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलानाला, वाराणसी
8. बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागाँव, वाराणसी
9. सुधाकर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी
10. स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट साइंसेज, खुशीपुर, बच्छाँव, वाराणसी
11. महारानी बनारस महिला महाविद्यालय, रामनगर, वाराणसी
12. ग्राम्यांचल महिला विद्यापीठ महाविद्यालय, गंगापुर, मंगारी, वाराणसी
13. इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, नीबिया, बच्छांव, वाराणसी
14. राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, वाराणसी (उ.प्र. का परिसर)
15. आदर्श कन्या डिग्री कॉलेज, दारागंज, वाराणसी
16. राजकीय महिला महाविद्यालय, डी.एल.डब्लू., वाराणसी
17. सनबीम कॉलेज फॉर वीमेन, भगवानपुर, वाराणसी
18. सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय, बच्छाँव, वाराणसी
19. उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय, वाराणसी
20. महारानी गुलाब कुँवरि महिला महाविद्यालय, पिण्डरा, वाराणसी
21. डॉ. घनश्याम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोयेपुर, लालपुर, आजमगढ़ रोड, वाराणसी
22. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी
23. सरस्वती उच्च शिक्षा एवं तकनीकी महाविद्यालय, गहनी, वाराणसी
24. महादेव महाविद्यालय, बरियासनपुर, वाराणसी
25. धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी
26. सुधाकर महिला विधि महाविद्यालय, पाण्डेय, वाराणसी
27. माँ सरस्वती महिला महाविद्यालय, चाँदपुर, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, वाराणसी
28. सुधा देवी महाविद्यालय, पचराँव, वाराणसी
29. श्यामा हरिवंश महाविद्यालय, राजवारी, वाराणसी
30. लोकबन्धु राज नारायण विधि महाविद्यालय,मोतीकोटगंगापुर, वाराणसी
31. जीवनदीप महाविद्यालय, बड़ालालपुर, वाराणसी
32. एम.पी. इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, भगतुआ, चिरईगाँव, वाराणसी
33. बनारस इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, निवाह, पिण्डरा, वाराणसी
34. स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रभु नारायण सिंह महाविद्यालय, चोलापुर, वाराणसी

Scanned with CamScanner

35. श्री दर्शनमुनि महाविद्यालय, मगरहुआ, वाराणसी
36. वाराणसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, भीमनगर, सिकरौल, वाराणसी
37. अभय महाविद्यालय, तरना, वाराणसी
38. जय प्रकाश महाविद्यालय, उगरहा, वाराणसी
39. राजकीय महाविद्यालय, पलही पट्टी, वाराणसी
40. इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नीबिया, वच्छाँव, वाराणसी
41. रजिया मुखराम स्मारक महाविद्यालय, तिलमापुर, वाराणसी
42. बसमत्ती देवी संकठा प्रसाद महाविद्यालय, भेड़हा, खोचवाँ, वाराणसी
43. संजय मेमोरियल वोमेन्स कॉलेज, केराकतपुर, वाराणसी
44. बाबा डोमनदेव महाविद्यालय, कपिसा, दानगंज, वाराणसी
45. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्साएण्डाएजुकेशन, दनियालपुर, पंचकोशी, वाराणसी
46. श्री श्याम तारा महिला महाविद्यालय, कोसड़ा, मिर्जामुराद, वाराणसी
47. श्री कृष्ण महाविद्यालय, रौना खुर्द, वाराणसी
48. श्री अमरनाथ डिग्री कॉलेज, कठिराँव, वाराणसी
49. आर.एस. बनारस लॉ कॉलेज, कर्माजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी
50. चन्द्रमा सिंह महाविद्यालय, हरहुआ, वाराणसी
51. संकट मोचन महाविद्यालय, बहरामपुर, चौबेपुर, वाराणसी
52. श्री टुन्नू राम महिला महाविद्यालय, मकसूदरन पट्टी, ताड़ी, वाराणसी
53. गौरव महाविद्यालय, देवराई, सुल्तानीपुर, वाराणसी
54. सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय, मुनारी, सारनाथ, वाराणसी
55. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डोमरी, रामनगर, वाराणसी

जनपद – चन्दौली

1. शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली
2. सावित्री बाई फूले राजकीय महाविद्यालय, चकिया, चन्दौली
3. पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, चन्दौली
4. सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सकलडीहा, चन्दौली
5. लाल बहादुर शास्त्री पी.जी. कॉलेज, मुगलसरायं, चन्दौली
6. देवेन्द्र नाथ जनता महाविद्यालय, हसनपुर, बल्लीपुर, चन्दौली
7. झारखण्डेय सिंह बालिका महाविद्यालय, देवकली, कमालपुर, चन्दौली
8. माँ खण्डवारी महाविद्यालय, चहनियाँ, चन्दौली
9. लोकनाथ महाविद्यालय, रामगढ़, चन्दौली
10. जटाधारी महाविद्यालय, मारूफपुर, चन्दौली
11. श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय, हसनपुर, चन्दौली
12. [illegible] सिंह कन्या महाविद्यालय, नई सट्टी, मुगलसरायं, चन्दौली
13. हरिनन्दन महाविद्यालय, सराय रसूलपुर (हतवापर), चन्दौली
14. महन्त रामनगीना महाविद्यालय, धरांव, चन्दौली
15. सकलडीहा बी.एड. कॉलेज, सकलडीहा, चन्दौली (स्थायी रूप से बन्द)
16. माँ खण्डवारी [illegible] महाविद्यालय, चहनियाँ, चन्दौली
17. विश्वनाथ सिंह महाविद्यालय, परशुरामपुर, चन्दौली
18. ब्रह्मचारी महाविद्यालय, कमालपुर, सदलपुरा, चन्दौली

Scanned with CamScanner

19. माँ भवानी महाविद्यालय, सोगाई, चन्दौली
20. मारकण्डेय महाविद्यालय, तारापुर, सदलपुर, चन्दौली
21. माँ मंशा देवी महाविद्यालय, बरहनी, चन्दौली
22. मां गायत्री महिला महाविद्यालय, हिंगतरगढ़, चन्दौली
23. अम्बिका प्रसाद डिग्री कॉलेज, बबुरा, धीना, चन्दौली
24. स्वामी शरण महाविद्यालय, जगुरखा, जनौली, कमालपुर, चन्दौली
25. यमुना देवी महाविद्यालय, पूरा बलुआ, चन्दौली
26. शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय, आवाजापुर,सकलडीहा, चन्दौली
27. बाबा जागेश्वर नाथ महाविद्यालय, हेतिमपुर, चकिया, चन्दौली
28. सूर्यनाथ महाविद्यालय, निदिलपुर, चन्दौली
29. बाबा नन्दलाल महिला महाविद्यालय, बबुरी चन्दौली

जनपद – संत रविदास नगर (भदोही)

1. के.एन. राजकीय पी.ज़ी. कॉलेज, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, भदोही
2. फलाहे उम्मत गर्ल्स डिग्री कॉलेज, भदोही
3. श्री घनश्याम दूबे महाविद्यालय, सुरियाँवा, भदोही
4. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, संत रविदास नगर, भदोही
5. रामदेव डिग्री कॉलेज, जंगीगंज, संत रविदास नगर, भदोही
6. केशव प्रसाद मिश्र राजकीय महिला महाविद्यालय, औराई, संत रविदास नगर, भदोही
7. केशव प्रसाद राल्ही महाविद्यालय, नरघुआ, औराई, संत रविदास नगर, भदोही
8. श्रीमती कान्ती सिंह लॉ कॉलेज, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, भदोही
9. अनुश्री कॉलेज, कैंड़ा, सुरियावाँ, संत रविदास नगर, भदोही
10. श्रीमती जगवन्ती देवी हीरानन्द महाविद्यालय, बेरवां,पहाड़पुर, संत रविदास नगर, भदोही
11. ओम उच्च शिक्षा संस्थान, विट्ठलपुर, गोपीगंज, संत रविदास नगर, भदोही
12. गिरिजा प्रसाद द्विवेदी महाविद्यालय, सेमराध, संतरविदासनगर, भदोही

जनपद – मिर्जापुर

1. श्रीमती इन्दिरा गाँधी राजकीय महाविद्यालय, लालगंज, मिर्जापुर
2. के.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर
3. जी.डी. बिन्नानी पी.जी. कॉलेज, मिर्जापुर
4. कमला आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर
5. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर
6. वनस्थली महाविद्यालय, अहरौरा, मिर्जापुर
7. राजदीप महिला महाविद्यालय कैलहट, मिर्जापुर
8. आईडियल एकेडमी ऑफ मैनेजमेन्ट साइंसेज, शिवाला महन्थ, मिर्जापुर
9. लालता सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय, अदलहाट, मिर्जापुर
10. राम खेलावन सिंह महाविद्यालय, कलवारी, मड़िहान, मिर्जापुर
11. श्री बोधन राम महाविद्यालय, बनवारीपुर छानबे, मिर्जापुर

Scanned with CamScanner

12. नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय महाविद्यालय, मगरहा, मिर्जापुर
13. रामानुज प्रताप महाविद्यालय, ड्रमण्डगंज, मिर्जापुर
14. श्रीकृष्ण डिग्री कॉलेज, श्रीपट्टी, चील्ह, मिर्जापुर
15. कृषक महाविद्यालय, राजगढ़, मिर्जापुर
16. शिवलोक श्रीनेत महाविद्यालय, कपसौर, पडरी, मिर्जापुर
17. पुष्पा सिंह स्मृति महाविद्यालय, बरेंवा, चुनार, मिर्जापुर
18. मुनी जी महाविद्यालय, रूपौधा, नरायनपुर, मिर्जापुर
19. एस.एस.पी.पी.डी. महिला महाविद्यालय, तिरुही, मड़िहान, मिर्जापुर
20. स्वामी गोविन्दाश्रम महाविद्यालय, पैडापुर, मिर्जापुर
21. आदर्श जनता महाविद्यालय, कोलना, चुनार, मिर्जापुर
22. स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय, कछवाँ, मिर्जापुर
23. के.जी.एस. महाविद्यालय, जोपा, मिर्जापुर
24. माँ नगेसरा देवी महिला महाविद्यालय, रीवाँ, जयपट्टीकला, मिर्जापुर
25. मथुरा कॉलेज ऑफ लॉ, पुरजागीर, मिर्जापुर
26. राम ललित सिंह महाविद्यालय, कैलहट, चुनार, मिर्जापुर
27. स्व. भगवान सिंह महाविद्यालय, (गड़बड़) पतार कलां, दुबार कलां, मिर्जापुर
28. विन्ध्यवासिनी महिला महाविद्यालय, मिर्जापुर
29. पं0 महावीर प्रसाद त्रिपाठी, महाविद्यालय, विजयपुर, मिर्जापुर
30. बाबू गुलाब सिंह गहरवार महाविद्यालय, बन्हैता, गौरा, मिर्जापुर

जनपद – सोनभद्र

1. अवधूत भगवान राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अनपरा, सोनभद्र
2. राजकीय महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र
3. भाउराव देवरस राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, सोनभद्र
4. संत कीनाराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैमूरपीठ, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
5. संत कीनाराम महिला महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
6. वनवासी महिला महाविद्यालय, डाला, सोनभद्र
7. बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाड़पाथर मुर्धवा (रेनुकूट), सोनभद्र
8. एम.एस. आदर्श महाविद्यालय, पोलवा, महुली, दुद्धी, सोनभद्र
9. जय माँ भगवती सोनान्चल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुसौली, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
10. श्याम महाविद्यालय, सेन्दुरिया, चोपन, सोनभद्र
11. विन्ध्य कन्या महाविद्यालय, उरमौरा, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
12. सुभाष बालिका महाविद्यालय, औड़ी, अनपरा, सोनभद्र
13. जे.एस.पी. महाविद्यालय, कसयाँ कला, सोनभद्र
14. चौधरी गोविन्द सिंह महाविद्यालय, खजुरी, शाहगंज, सोनभद्र
15. माँ शिव देवी महाविद्यालय, बेलाटाड़, शाहगंज, सोनभद्र
16. राजकीय महिला महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र
17. आर.पी. डिग्री कॉलेज, धरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र
18. नन्हकू राम महाविद्यालय, पढ़री खुर्द, सोनभद्र
19. अरुण कुमार केशरी महिला महाविद्यालय, मधुपुर, सोनभद्र

Scanned with CamScanner

जनपद – बलिया

1. श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया
2. गुलाब देवी महिला महाविद्यालय, बलिया
3. सतीश चन्द्र महाविद्यालय, बलिया
4. अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दूबे छपरा, बलिया (पूर्व नाम– महाविद्यालय दूबे, छपरा, बलिया)
5. सुदृष्टि बाबा महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी, रानीगंज, बलिया
6. कुँवर सिंह महाविद्यालय, बलिया
7. कमला देवी बाजोरिया महाविद्यालय, दुबहर, बलिया
8. मथुरा महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया
9. बजरंग महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया
10. देवेन्द्र महाविद्यालय, बेल्थरा रोड, बलिया
11. श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरही, रसडा, बलिया
12. किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रकसा, रतसर, बलिया
13. स्वामी राम नारायणाचार्य महिला महाविद्यालय, बेल्थरा रोड, बलिया
14. राधा मोहन किसान मजदूर महाविद्यालय, नियामतपुर, कन्सो, बलिया
15. यशोदा नन्दन महिला महाविद्यालय, गौरा, मदनपुरा, एकइल, बलिया
16. वीर लोरिक सुघर महाविद्यालय, बिगह, चरौंवा, बलिया (पूर्व नाम– "मुलायम सिंह यादव महाविद्यालय)
17. श्री जमुनाराम महाविद्यालय, चितबड़ा गाँव, बलिया
18. शक्तिपीठ महाविद्यालय, दौलतपुर, बलिया
19. दूजा देवी महाविद्यालय, सहतवार, बलिया
20. उदित नारायण ऋषभ (महिला) महाविद्यालय, पिण्डारी, बलिया (दिनांक–01.07.2004 से 'महिला' शब्द विलोपित)
21. माँ कस्तूरी देवी महाविद्यालय, नवानगर, बलिया
22. गाँधी महाविद्यालय, मिड्ढा, बेरूआरबारी, बलिया
23. महाविद्यालय बाँसडीह, बलिया
24. श्री रामकरण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीमपुरा नं.–1, बलिया
25. गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय, गौरीशंकरपुरम्, करनई, बलिया
26. श्री रखन्त बाबा महाविद्यालय, अतरौली, करमौता, बलिया
27. श्री नरहेजी विधि महाविद्यालय, नरही, रसड़ा, बलिया
28. श्री शिव नारायण गंगा प्रसाद महिला महाविद्यालय, खानपुर, डूमरिया, बलिया
29. विवेकानन्द महाविद्यालय, सेमरी, बलिया
30. श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला महाविद्यालय, कमतैला, रसड़ा, बलिया
31. सागर महिला महाविद्यालय, भीमपुरा, बलिया
32. श्रीनाथ बाबा महाविद्यालय, इसारी, सलेमपुर, बलिया
33. हीरानन्द महाविद्यालय, नारायनपुर, रसूलपुर, रसड़ा, बलिया
34. पृथ्वी शिव किसान मजदूर बालिका महाविद्यालय, रसड़ा, बलिया
35. शिवराज स्मारक महाविद्यालय, रामपुर, बलिया
36. माँ फूला देवी कन्या महाविद्यालय, तिरौली, बघुड़ी, बलिया
37. माँ बन्धुई देवराज महाविद्यालय, पशुहारी, बलिया
38. महाराजा सुहेलदेव महिला महाविद्यालय, गजियापुर, सेमरी, बलिया
39. गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया

Scanned with CamScanner

40. श्रीनाथ बाबा जंगली बाबा महाविद्यालय, जाम, वलिया
41. पन्ना महाविद्यालय, कुशहा ब्राह्मण भीमपुरा, वलिया
42. जनता महाविद्यालय, नगरा, वलिया
43. हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय, धर्मस्थली, चितवड़ा गाँव, वलिया
44. बाबा मथुरा दास सीताराम महाविद्यालय, चिलकहर, वलिया
45. जय मौनी बाबा देवा गिरधारी महाविद्यालय, रोहुना, रसड़ा, वलिया
46. श्री स्वामी नाथ सिंह सुरेन्द्र महाविद्यालय, धर्मपुर, काजीपुर, वलिया
47. कमलेश्वर राय महिला महाविद्यालय, बहुआरा, वलिया
48. विन्देश्वरी महाविद्यालय, मलप, हरसेनपुर, वलिया
49. संत ग्राम्यांचल महाविद्यालय, सुरही, वलिया
50. लोकनायक जय प्रकाश महाविद्यालय, रेवती, वलिया
51. डॉ. राम मनोहर लोहिया सूबेदार महाविद्यालय, हवसापुर, वलिया
52. स्व. बलराम सिंह स्मारक महाविद्यालय, दिघारगढ, वलिया
53. महात्मा रतन गुलजार महाविद्यालय, सराय भारती, कोप सिलहटा, वलिया
54. रामधारी चन्द्रभान महाविद्यालय, नगपुरा (नफरेपुर), रसड़ा, वलिया
55. कुबेर महाविद्यालय, हरानपुर, जजौली नं.–2, वलिया
56. महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर वीमेन, मिश्रा कॉलोनी, काजीपुरा, वलिया
57. शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महाविद्यालय, वलिया
58. मु. शहवान मेमोरियल महाविद्यालय, नगरा, वलिया
59. तिलेश्वरी देवी महाविद्यालय, गौरा पतोई, वलिया
60. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी चौधरी महाविद्यालय, विशुनपुर, बलेश्वर, वलिया
61. श्री सहदेव पचौरिया अम्बेडकर महिला महाविद्यालय, मन्दा, रसड़ा, वलिया
62. गंगा सिंह महाविद्यालय, पटखोली, दक्षिण, मनियर, वलिया
63. जय प्रकाश महिला महाविद्यालय, नगरा, वलिया
64. श्री रामचन्द्र महाविद्यालय, त्रिकालपुर, गड़वार, वलिया
65. जय माता दुल्गी देवी महाविद्यालय, चोगड़ा, वलिया
66. रामदास महाविद्यालय, सिकरिया, भीमपुरा नं.–1, वलिया
67. इश्तेयाक अहमद मेमोरियल महाविद्यालय, पिपरौली, बड़ागाँव, वलिया
68. बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक महाविद्यालय, माधेपुर (पकवाइनार), नवापुरा, रसड़ा, वलिया
69. स्व. केशव प्रसाद महाविद्यालय, ससना, बहादुरपुर, बेल्थरा रोड, वलिया
70. देवराज महाविद्यालय, गउरहां, चन्दाडीह, वलिया
71. श्री नीलम देवी महाविद्यालय, धतुरी टोला, बैरिया, वलिया
72. माँ शान्ती देवी महाविद्यालय, हल्दीरामपुर (बहाटपुर), वलिया
73. आर0एन0सी0 महाविद्यालय, सैदपुर, वलिया
74. मॉ0 मतुरनी देवी महाविद्यालय, चन्दाडीह, वलिया

Scanned with CamScanner